

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, Fourth Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com;

No. : SEUPPTCL / LKO / 23-24/ 590

Date : 01.11.2023

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग,
औरैया, उत्तर प्रदेश

विषय : साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : 1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक - 60/11-सी-
FP/UP/TRANS/15538/2015, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 07, 2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में, वन प्रभाग औरैया के अंतर्गत उल्लिखित कमियों का विदुवार निराकरण करते हुए सशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित है।

क्रम सं०	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1.	प्रस्ताव में संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर अपलोड करें।	पृष्ठ संख्या 77-78 पर संलग्न है।
3.	प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग - 2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	पृष्ठ संख्या 40-41 पर संलग्न है।
4.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 41 A पर संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतया औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 8 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो की अपूर्ण है। अतः पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतया औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, Fourth Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com;

	भाग -2 में धनराशि सहित अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलीट करें।	
6.	प्रस्तावित वन भूमि के एन० पी० वी० में संशोधन के उपरांत बढ़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	पृष्ठ संख्या 55A पर संलग्न करके अपलोड कर दिया गया है।
7.	वन अधिकार अधिनियम -2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	पृष्ठ संख्या 95 पर संलग्न है, प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
8.	प्रस्ताव में गज़ट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग - 2 में अपलोड करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मालवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	पृष्ठ संख्या 76 - 76A पर संलग्न कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या - 2 में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
11.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हार्डकॉपी भाग -2 में पूरा भरा नहीं गया है। अतः पूर्ण हार्डकॉपी भाग -2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
12.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 82 - 85 पर संलग्न प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
13.	तीन वैकल्पिक रुट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न कर दिया गया है।
14.	ऑनलाइन भाग - 2 के क्रमांक - 13 (i) से iv तक) में अपलोड किये गए त्रुटिपूर्ण विवरण / अभिलेख को डिलीट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।

धन्यवाद,

कृते साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारेषण

संलग्नक : प्रस्ताव की तीन मूल प्रति एवं 01 पेन ड्राइव

अरवि शर्मा-कलु न०५०
आर० आर० आर०

21/11/25

प्रभागीय वनाधिकारी
औरंगाबाद वन प्रभाग-औरंगाबाद

Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015

क्र० सं०	संलग्नकों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति रसीद	1-2
2	याचक विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव हेतु भरा गया फॉर्म -A की प्रति (भाग -1)	3-11
3	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति (भाग - 2)	12-13
4	वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति (भाग -3)	14
5	नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति (भाग - 4)	15
6	प्रभारी सचिव द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति (भाग - 5)	16
7	परियोजना प्रस्ताव की साथ संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र	17
8	प्रभागीय निदेशक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट	18
9	प्रस्तावित वन भूमि का नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) गणना से सम्बंधित प्रमाण पत्र	19
10	वन संरक्षण अधिनियम 1980 की दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करने का प्रमाण पत्र	20
11	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र	21
12	वन स्वरूप क्षेत्रों सम्बन्धी प्रमाण पत्र	22
13	दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों सम्बन्धी प्रमाण पत्र	23
14	वन्य जीव अभ्यारण्य / रिजर्व बाघ / हाथी कॉरिडोर आदि सम्बन्धी प्रमाण पत्र	24
15	परियोजना में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गज़ट नोटिफिकेशन की प्रति	25-35
16	प्रस्ताव के संस्तुति हेतु प्रमाण पत्र	36
17	अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 1560/81-2-2021(94) के कम से कम वृक्षों के पातन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	37
18	परियोजना में प्रभावित वृक्षों की सूची व प्रमाण पत्र	38-41
19	क्षेत्रीय वन अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट	42-52
20	परियोजना प्रस्ताव को हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत पत्र	53
21	न्यूनतम वन भूमि प्रमाण पत्र	54
22	प्रस्तावित वन भूमि का नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) से सम्बंधित प्रमाण पत्र	55
23	वन विभाग से भिन्न स्वामित्व वाले विभाग से सम्बंधित स्वामित्व प्रमाण पत्र	56-70

24	परियोजना से लाभ सम्बन्धी प्रमाण पत्र	71 /
25	कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र	72 /
26	भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश माने जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	73-74 /
27	लीज रेंट सम्बन्धी प्रमाण पत्र	75 /
28	मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी प्रमाण पत्र	76 /
29	परियोजना से सम्बंधित साइट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट	77-78 /
30	ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र	79 /
31	प्रभावित वन भूमि से 10 कि०मी० की परिधि में कोई सेंचुरी / वन जीव विहार नहीं है सम्बन्धी प्रमाण पत्र	80 /
32	परियोजना में प्रभावित वन भूमि एवं अन्य भूमि का विवरण	81 /
33	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ० प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 2055/11-सी FP/UP/TRANS/15538/2015 दिनांक 07.01.2020.	82-84 /
34	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन पत्र	85-87 /
35	प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन की पत्र संख्या 359/24-ऊ नि नि प्र / 12-48(प्र०) / 10 दिनांक 31.05.2012.	88-89 /
36	प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे ऑफ़ इंडिया की 1:50000 टोपोशीट	90-92 /
37	प्रस्तावित वन भूमि का डिजिटल जिओ रिफरेंस मैप की प्रति	93-94 /
38	वन अधिकार अधिनियम -2006 (FRA) के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	95 /
39	औषधीय / बौने पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित व्यय का प्राक्कलन	96-98 /
40	पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	99 /
41	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक ३४ दिनांक के क्रम में दिए गए निर्देशों के प्रमाण पत्र	100 /

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

1 message

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in>

To: dfoauraiya@gmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

Mon, Dec 5, 2022 at 10:15 AM

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been successfully reuploaded on portal of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India.

1. Proposal No. : FP/UP/TRANS/15538/2015
2. Proposal Name : 765 kV S/C Mainpuri - Bara Transmission Line
CKT - I
3. Category of the Proposal : Transmission Line
4. Date of Submission : 21/09/2015
5. Name of the Applicants with Contact Details

Name	: SANJAI
Mobile No.	: 9454647975
State	: Uttar Pradesh
District	: Lucknow
Pincode	: 226010
6. Area Applied (ha.) : 19.9019

Kindly process the proposal and forward it to the Circle Officers.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***



Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below, along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Uttar Pradesh on 21/09/2015.

1. Proposal No. : FP/UP/TRANS/15538/2015
2. Proposal Name : 765 kV S/C Mainpuri - Bara
Transmission Line CKT - I
3. Category of the Proposal : Transmission Line
4. Date of Submission : 21/09/2015
5. Name of the User Agency with Contact Details .
Name : SANJAI
Mobile No. : 9454647975
State : Uttar Pradesh
District : Lucknow
Pincode : 226010
6. Area Applied (ha.) : 19.474

[Signature] 20/10/2015
(System Administrator)

[Signature]
(S. K. Singh)
General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

- (i). Proposal No. : FP/UP/TRANS/15538/2015
- (ii). Name of Project for which Forest Land is required : 765 kV S/C Mainpuri - Bara Transmission Line CKT - I
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : 765kV Manipuri - Bara Line with 765/400 kV AIS at Manpuri and Associated Schemes/Works
- (iv). State : Uttar Pradesh
- (v). Category of the Proposal : Transmission Line
- (vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear
- (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 62760
- (viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 19.9019
- (ix). Non-forest land required for this project(In ha.): 2458.368
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(In years): 35

A-2. Details of User Agency

- (i). Name : SOUTH EAST UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
- (ii). Address1 : Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomati Nagar
- (iii). Address2 : Lucknow, Uttar Pradesh
- (iv). State : Uttar Pradesh
- (v). District : Lucknow
- (vi). Pin : 226010
- (vii). Landmark : Near Indira Patisthan
- (viii). Email address : info@seupptcl.com

(ix). Landline Telephone No. : 522-4923208

4

(x). Fax No. : 522-0

(xi). Mobile No. : 8756700132

(xii). Website (If any) : www.seupptcl.com

(xiii). Legal status of User Agency : State PSU

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: SANJAI

(ii). Middle Name: KUMAR

(iii). Last Name: SINGH

(iv). Gender: Male

(v). Designation: GENERAL MANAGER (TRANSMISSION

(vi). Address 1: Levana Cyber Heights Building, 1st Floor, Office Space-116, Vibhuti Khand, Gomati Nagar

(vii). Address 2: Lucknow, Uttar Pradesh

(viii). State: Uttar Pradesh

(ix). District: Lucknow

(x). Tehsil: NIL

(xi). Pin: 226010

(xii). Landmark: Near Indira Patisthan

(xiii). Email Address: info@seupptcl.com

(xiv). Landline Telephone No.: 522-4304998

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9454647975

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

B-1 Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

5

Proposal Submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date Final Approval
1	Inprinciple	FP/UP/TRANS/4709/2013	8B/U.P./04/27/20014/F.C./199	0.279	0.279	13 Jun 2014	
2	Inprinciple	FP/UP/TRANS/4655/2013	8B/U.P./04/27/20014/F.C./198	2.796	2.796	13 Jun 2014	
3	Inprinciple	FP/UP/TRANS/15520/2015	8B/U.P./04/31/2016/FC/159	22.6006	22.6006	29 Jun 2016	
4	Inprinciple	FP/U.P./TRANS/13285/2015	8B/U.P./04/99/2017/FC/570	3.177404	3.177404	21 Mar 2017	
5	Approved	FP/U.P./TRANS/4709/2013	8B/U.P./04/27/2014/FC/199	0.279	0.279	13 Jun 2014	18 Sep 2015
6	Approved	FP/U.P./TRANS/4655/2013	8B/U.P./04/27/2014/FC/198	2.796	2.796	13 Jun 2014	26 Aug 2015
7	Approved	FP/UP/Trans/15893/2014	8B/U.P./04/36/2016/FC/510	1.104	1.104	18 Oct 2016	02 Nov 2021
8	Inprinciple	FP/UP/Trans/ 15520/2015	8B/U.P./04/31/2016/FC/159	22.0305	22.0305	29 Jun 2016	
9	Inprinciple	FP/UP/TRANS/15893/2014	8B/U.P./04/36/2016/F.C./336	1.104	1.104	18 Oct 2016	
Total				56.166504	56.166504		

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Social Forestry Division Allahabad	14.8394 ✓	274.7584
2.	Social Forestry Division Fatehpur	2.1504 ✓	873.1392
3.	Social Forestry Division Kanpur Nagar	0.3456 ✓	180.3456
4.	Forest Division Kanpur Dehat	0.8064 ✓	421.4272
5.	Auraiya	0.3456 ✓	409.2736
6.	Social Forestry Division Mainpuri	1.4145 ✓	299.424
Total		19.9019	2458.368

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	PRAYAGRAJ	14.8394	274.7584
1.	Fatehpur	2.1504	873.1392
3.	Kanpur Nagar	0.3456	180.3456
4.	Kanpur Dehat	0.8064	421.4272
5.	Auraiya	0.3456	409.2736
6.	Mainpuri	1.4145	299.424
Total		19.9019	2458.368

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			

1	Chirkua	0.2432	15.4304
2	Nibi	14.4106	7.5414
3	Kapari	0.4288	11.0912
4	Gouri	0.1344	14.5856
5	Darikhurda	0.1344	13.6256
6	Rasulpur	0.1344	12.0256
7	Gandharhati	0.1344	18.1056
8	Saraihawakahwa	0.1344	15.2256
9	Meona	0.1344	12.9856
10	Korba	0.1344	16.5056
11	Sah	0.1344	17.728
12	Besandi	0.1344	18.7584
13	Sarauli	0.1344	8.192
14	Sarauli North	0.1344	15.8656
15	Loharpur	0.1344	17.4656
16	Lihai	0.1344	13.3056
17	Belwan Khurd	0.1344	12.6464
18	Mahoba	0.1344	13.7856
19	Imiliya	0.1344	15.84
20	Jhunjhak	0.2304	144.9984
21	Karchulipur	0.1152	35.3472
22	Dahoba	0.2144	13.9584
23	Nareha	0.2144	11.7792
24	Bara	0.128	18.5632
25	Sambhua	0.2496	11.712
26	Bhulahar	0.1024	13.7024
27	Kishani	0.128	39.0463
28	Kharra	0.256	14.7136
29	Badhanpur	0.128	14.272
30	Badhanpur kerta	0.5248	12.2496
31	Ramnagar	0.2497	13.7472
32	Singhpura	0.128	19.6543
Total		19.9019	634.4532

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Bakewar to Chaudagra Road 38/0 to 39/0	0.1344	17.728
2	Devmai to Sakura Road 35/1 to 35/2	0.1344	18.7584
3	Fatehpur to Ghazipur road 67/5 to 68/0	0.1344	8.192
4	NH-86 Kanpur to Hamirpur Road 74/0 - 75/0	0.2304	35.3472
5	Lower Ganga Canal KNP to ALIGARH	0.2497	13.7472
6	NH-92 Bewar to Etawah KM 26-27	0.128	19.6543
7	Kishani - Saman Katra MDR 20D/0 - 20D/1	0.128	39.0463
8	Ghazipur to Ashothar Road 71/1 to 71/2	0.1344	17.4656
9	BIDHUNA - KUDARKOT ROAD CROSSING 34/0 TO 35/0	0.2432	15.4304
10	Van Block Nibi 13/0 to 138/0	14.4106	7.5414
11	Lower Ganga Canal KNP Branch 33/0 - 34/0	0.1152	144.9984
12	Rura Derapur Road 60/6 to 60/7	0.2144	11.7792
13	Bura to Akhaur Road 61R/4 to 61R/5	0.128	18.5632

15	FATEHPUR TO BANDA ROAD 61/0 TO 62/0	0.1344	15.8656
16	ITAULLAIPUR TO BHARASHOWAL MARG 82/0 TO 82/1	0.1344	12.6464
17	LOWER GANGA CANAL 53/3 TO 54/0	0.1344	13.7856
18	RARI MINOR ROAD 86/0 TO 86/1	0.1344	15.84
19	RURA TO JHINJHAK CANAL ROAD 50/0 TO 51/0	0.2144	13.9584
20	NH-2 KANPUR TO DELHI 64/0 TO 65/0	0.2496	11.712
21	BELA TO DIBIYAPUR 41/3 TO 41/4	0.1024	13.7024
22	SH-84 SHIKOHABAD TO MAINPURI KM 37-38	0.256	14.7136
23	SH-83 ETAWAH TO MAINPURI KM 47 TO 48	0.128	14.272
24	RLW SHIKOHABAD - FARRUKHABAD KM STONE 1251/2 TO 12	0.5248	12.2496
25	NH76 ALLAHABAD TO JHANSI 141/0 TO 142/0	0.4288	11.0912
26	KHAGA TO KISHANPUR ROAD 83/0 TO 84/0	0.1344	14.5856
27	KHAKHERU TO KOT ROAD	0.1344	13.6256
28	SHIVRAJPUR TO CHILA ROAD 55/0 TO 56/0	0.1344	12.0256
29	JONIHA TO AMAULI ROAD 54/0 TO 55/0	0.1344	18.1056
30	LOWER GANGA CANAL 52/0 TO 53/0	0.1344	15.2256
31	KHAJUHA TO AMILA ROAD 42/0 TO 43/0	0.1344	12.9856
32	BINDIKI TO JAHANABAD ROAD 39/0 TO 40/0	0.1344	16.5056
Total		19.9019	634.4532

2

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Social Forestry Division Kanpur Nagar		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(In ha.) : 0.3456 (ii). Nature of the Project: Linear (b). No. of Segments : Two		
Segment wise details		
Segments	Segment Area(In ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	0.1152	 View File
2.	0.2304	 View File
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:  (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 		
Division 2. : Social Forestry Division Mainpuri		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(In ha.) : 1.4145		

(b). No. of Segments : Six

8

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	0.128	 View File
2.	0.256	 View File
3.	0.128	 View File
4.	0.5248	 View File
5.	0.2497	 View File
6.	0.128	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

Division 3. : Social Forestry Division Allahabad

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 14.84

(ii). Nature of the Project: Linear

(b). No. of Segments : Two

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	14.411	 View File
2.	0.4288	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

Division 4. : Auraiya

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 0.3456

(ii). Nature of the Project: Linear

(b). No. of Segments : Two

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	0.1024	 View File
2.	0.2432	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

Division 5. : Social Forestry Division Fatehpur

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 2.1504

(ii). Nature of the Project: Linear

(b). No. of Segments : Twelve

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	0.2688	 View File
2.	0.1344	 View File
3.	0.1344	 View File
4.	0.4032	 View File
5.	0.1344	 View File
6.	0.2688	 View File
7.	0.1344	 View File
8.	0.1344	 View File
9.	0.1344	 View File
10.	0.1344	 View File
11.	0.1344	 View File
12.	0.1344	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

Division 6. : Forest Division Kanpur Dehat

(ii). Nature of the Project: Linear

(b). No. of Segments : Four

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	0.2144	 View File
2.	0.2144	 View File
3.	0.128	 View File
4.	0.2496	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 13

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 71000

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: Yes

(a). Copy of Cost-Benefit analysis: 

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ? : No

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: For laying of transmission lines

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Transmission License
2		Approval under section 68 of IEA - 2003
3		Gazatee Notification
4		Topo sheet with three route Prayagraj
5		Topo sheet with three route Fatehpur
6		Topo sheet with three route Kanpur Nagar
7		Topo sheet with three route Kanpur Dehat
8		Topo sheet with three route Auraiya
9		Topo sheet with three route Mainpuri
10		Compliance of nodal letter 13-01-2017
11		Compliance letter w.r.t. Nodal letter 13/01/2017
12		Area Calculation for Forest & Non- Forest Area

भाग -2 (क)

(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

योजना / स्कीम का स्थान	उत्तर प्रदेश
(१) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(२) जिला	औरैया
(३) वन प्रभाग	औरैया वन प्रभाग औरैया
(४) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	0.3456
(५) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित
(६) हरियाली का घनत्व	
(७) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किये जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर० एल० एफ० आर० एल० -2 मीटर पर परिगणना और एफ० आर० एल० -4 मीटर भी संलग्न किये जाए।	
(८) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	
(९) वनेत्तर प्रयोग के लिए वन क्षेत्र प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	
(१०) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएँ)	नहीं
(११) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं, यदि हाँ / नहीं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं
(१२) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्व / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें	नहीं
(१३) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम -2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है	न्यूनतम है
(१४) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यही हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण	संलग्न है
(१) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारण वनोत्तर क्षेत्र / अविकसित वन क्षेत्र आसपास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भूखंड का आकार	
(२) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारण वनोत्तर क्षेत्र / अविकसित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता है	
रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि	
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय	

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधित दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	
11 - जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कॉलम (7) (10) (11) (8) और (9) में पूंछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें	
विभाग / जिला प्रोफाइल	
(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	२०/६ वर्ग किमी
(2) जिले का वन क्षेत्र	१००/००/५७ हे
(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	
(4) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क) दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित भूमि	
(ख) वनोत्तर भूमि	
अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वन भूमि पर	
(ख) वनोत्तर भूमि पर	
प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	

दिनांक 18-11-2022

स्थान २२/११

हस्ताक्षर ३०/११

नाम २२/११ वन प्रभाग-२२/११

सरकारी मोहर

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल जहाँ वन भूमि शामिल की गयी है। क्या इसकी सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण (हाँ या नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विवेक सिफारिशें—	कार्य की प्रकृति के दृष्टिगत सहमति व्यक्त की जाती है।

तिथि:

स्थान— कानपुर

मुख्य वन संरक्षक
कानपुरमण्डल, कानपुर

मोहर—



भाग-4

(नीडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें—

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये—

तिथि:

स्थान—

नाम—

मोहर—

6

16

भाग-5

(इस वन विभाग के प्रभारी सचिव, अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

1. राज्य सरकार की सिफारिशें— (उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)–	
--	--

तिथि:

स्थान—

नाम—

मोहर—

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

17

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग औरैया तथा साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18-11-2022 को किया गया। प्रभावित संरक्षित वन भूमि जनपद औरैया के अंतर्गत बेला - दिबियापुर रोड, किमी० 20-21, गांव - भूलाहार / हरपुरा तथा बिधूना - कुदरकोट रोड, ग्राम चिरकुआ के पास तहसील - बिधूना, जनपद - औरैया (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (औरैया वन प्रभाग में - 0.3456 हे०) है।

प्रभावित संरक्षित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है।


प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग औरैया


महाप्रबंधक - परीक्षण
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the Forest land to be diverted under FCA-1980)

A proposal has been received by this office from **General Manager (Transmission)**, South East U.P. Power Transmission Co. Ltd., Lucknow for diversion (under FCA-1980) of 0.3456 Ha. of protected forest land for non forestry purpose. The project envisages the use of protected forest land for non forestry purpose. The project envisages the use of protected forest land to be diverted for construction of **765kv S/C Mainpuri – Bara ckt-1 transmission line**, crossing between km milestone 20-21 on Bela – Dibiyapur road at Vill. – Bhulahar / Harpura and Bidhuna – Kudrakot Road, near Village – Chirkua, Tehsil – Bidhuna, Distt. – Auraiya (Uttar Pradesh).

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 18-11-2022

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a protected forest land measuring area of 0.3456Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof. **NIL.**

Whether any protected archaeological / heritage site / defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. **NIL.**

- a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes.**
- b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **No.**

Recommendations for acceptance of the proposal.

Place Auraiya
 Date 18-11-2022

Divisional Forest Officer
 Auraiya

नेट प्रजेन्ट वैल्यू की (N.P.V.) की गणना

(19)

मा0 उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के अनुपालन मे भारत सरकार के पत्र संख्या 5 -3/2007 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा सर्किट -1 पारेक्षण लाईन के निर्माण हेतु औरैया प्रभाग के अन्तर्गत 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है । प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि का विवरण एवं N.P.V. की गणना निम्न प्रकार है :-

स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल हे0 मे	ईको क्लास	घनत्व	प्रति हे0 वैल्यू रु0 मे	कुल वैल्यू रु0 मे
1	2	3	4	5	6	7
बेला - दिबियापुर मार्ग किमी0 279-280 के बीच	संरक्षित वन	0.1024	III	0.0	957780.00	98076.67
बिधूना - कुद्राकोट मार्ग ग्राम - चिरकुआ के पास	संरक्षित वन	0.2432	III	0.0	957780.00	232932.09
योग - 0.3456						331008.77
पूर्णांक						331009.00
रु0 तीन लाख इकतीस हजार नौ मात्र						



प्रमाणित किया गया
औरैया नगर प्रमाण औरैया
औरैया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

20

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित दिशा - निर्देशों का उल्लंघन न करने के लिए वचनबद्ध है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिनिधित्व अधिकारी
अरिया वन प्रभाग-औरैया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shallmar Titanium,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में क्षेत्रफल 0.3456 हेक्टेयर पटरी वनभूमि के बदले दुगने अवनत भूमि 0.6912 हेक्टेयर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो व्यय उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, उसका भुगतान साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणित वनाधिकारी
प्रतिहस्ताक्षरित
औरैया वन प्रभाग-औरैया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 kV एकल परिपथ मैनपुरी-बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में प्रस्तावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त वन प्रभाग, औरैया, में चिह्नित " वन स्वरूप क्षेत्र " की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

दुर्लभ वनस्पति और प्राणी जगत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजगत की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित
आर्या वन प्रभाग-औरैया



24

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

वन्यजीव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -१) ट्रांसमिशन लाइन क्षेत्र में सरकारी फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी, कॉरिडोर आदि सम्मिलित नहीं है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रभाती देवी
प्रतिहस्ताक्षरित
साउथ वन प्रभाग-औरंगाबाद



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, ०२ सितम्बर, २०१३

भाद्रपद ११, १९३६ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा (निजी नि) प्रकोष्ठ

संख्या ७९५(१)/२४-ऊ०नि०नि०प्र०/१२-४६(प्रकोष्ठ)-१०

लखनऊ, ०२ सितम्बर, २०१३

अधिसूचना

५०३प्र०-२०६

चूंकि मे० साउथ-इस्ट यू पी पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० (एस०ई०यू०पी०टी०सी०एल०) अनुज्ञापिधारी, जिसका पंजीकृत कार्यालय शालीमार टाईटेनियम ६०१-६०२, छात्र हल, प्लॉट संख्या टी०सी०/जी-१ / १, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पिन कोड-२२६०१० में है, और जो उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत अधिनियम, २००३ के अंतर्गत अनुज्ञप्ति रखते हुए विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण हेतु अनुज्ञापिधारी है, ने उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत मंत्रालय ने ३१/०५/२०१२ को पत्र सं० ३५९/२४-ऊ०नि०नि०प्र०/१२-४६(प्रकोष्ठ)/१० के द्वारा, विभिन्न गांवों की कृषि भूमियों से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्गों, रेलवे लाइनों, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र आदि के ऊपर से निकलने वाली लगभग १५०८ कि० मी० की निम्नलिखित राज्यान्तरिक पारेषण योजना के अंतर्गत कार्य/परियोजनायें निम्नवत् हैं :-

अनुसूची

क्र० सं०	पारेषण लाइनों के नाम	अनुमानित लम्बाई	क्र० सं०	विद्युत उपकेंद्र	क्षमता
१.	७६५ के०वी० एस / सी मैनपुरी-उन्नाव लाइन	१९२ कि०मी०	१.	७६५/४०० के०वी० विद्युत उपकेंद्र मैनपुरी	२००० एम०वी०ए०

क्र० सं०	पारेषण लाइनों के नाम	अनुमानित लम्बाई	क्र० सं०	विद्युत उपकेंद्र	क्षमता
2.	785 के०वी० एच / सी मैनपुरी-बारा लाइन (स/क-1)	362 कि०मी०	2.	400/220 के०वी० रीवा रोड विद्युत उपकेंद्र इलाहाबाद	830 एम०वी०ए०
3.	785 के०वी० एच / सी मैनपुरी-बारा लाइन (स/क-2)	382 कि०मी०	3.	400/220/132 के०वी० विद्युत उपकेंद्र गोण्डा	830 एम०वी०ए०
4.	400 के०वी० डी / सी मैनपुरी अलीगढ़ लाइन	93 कि०मी०	4.	420/220/132 के०वी० विद्युत उपकेंद्र सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	1320 एम०वी०ए०
5.	400 के०वी० डी / सी गोण्डा शारिफपुर लाइन	220 कि०मी०	5.	400/220/132 के०वी० विद्युत उपकेंद्र औराई, संत रविदासनगर	950 एम०वी०ए०
6.	400 के०वी० डी / सी टांडा गोण्डा लाइन	95 कि०मी०			
7.	400 के०वी० डी / सी रीवा रोड- मेजा	33.5 कि०मी०			
8.	400 के०वी० डी / सी रीवा रोड- करछना	29.2 कि०मी०			
9.	400 के०वी० डी / सी बारा-मेजा	29.2 कि०मी०			
10.	400 के०वी० डी / सी बारा-करछना	39.5 कि०मी०			
11.	400 के०वी० डी / सी उरई मैनपुरी (पावर ग्रिड) के दोनों सर्किटों का लिलो मैनपुरी	43.3 कि०मी०			
12.	400 के०वी० डी / सी पनकी ओबरा 400 के०वी० रीवा रोड इलाहाबाद	0.8 कि०मी०			
13.	400 के०वी० सरोजनी नगर कुर्सी रोड (पावर ग्रिड) का लिलो 400 के०वी० सुल्तानपुर रोड लखनऊ	6.5 कि०मी०			
14.	400 के०वी० ओबरा सुल्तानपुर का लिलो 400 के०वी० औराई, (संत रविदास नगर)	1.2 कि०मी०			

के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन प्रदान किया था।

उपरोक्त पारेषण लाइनों के रास्ते में, निकट अथवा आसपास पड़ने वाले ग्राम, कस्बे एवं शहरों के नाम विस्तार में नीचे दिये गये हैं :-

क्रमांक	जिलों का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
1.	मैनपुरी	गुरुकुल, नागलाखैड़ा, नगलापुनु, नागला इमालिया, बदनपुरा, नागला गोकुलपुर, सबोतानी, नागला जसवंतपुर, नागला सुखलाल, गितीली, नागला झारा, रायपुरा, मिसारपुर, कुरुसरा, औराई, नागला बत्ती, दादपुर, पतारा, बिन्दकीपुर, सुल्तानपुर, नागला मैनबाथ, भोपालपुर, नागला जेतकी, अगीठा, इगदेरहर, नागलासानीपुर, सधिनी, जारागैन, जगाई, मनोहर, नागलागुखनपुर, दिगरी, दलितपुर, नागला हरचन्दपुर, बलभियागपुरा, धरिया, उदेंतपुर, खारा, गार्गी, अकाईनागला, सिबारापुर, उज्जयापुरवा, ऊबलपुर, कुबेरपुर, स्थाजपुर, नागलाहर, नागलागहनान, देवपुरवा, औछामाकैट, बलामपुर, अचलपुर, नागलापीपल, मानपुर, गजिया, नागलाकुली,	मैनपुरी सदर

क्रमांक	जिलों का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
		ग्यारहमयी,	
		उदेपुर, मखरन्दपुर, मालपुर, अथेई, बनीगोदपुर, उदराई, नागलागोदरिया, मैदपुर, नागलाघोष, उरमातखेरा,	करहल
		राजपुरकालन, नागलामुखन्द, दुल्हापुर, दुन्वीहर, मरियर, रामनगर, बरई, खेन्का, वालीदखुई, जगपुरा, गोकुलपुर, उदयपुरखेजम, उदयपुरखुई, किसानपुर, लालमन, मेघपुर, रुदपुर, महरी, पिलवहर, पोहरपुर, विनीपुर, दलीपखालन, मेहरियान, नागलाधुन्ध, बालमपुर, लखनपुर, कुन्दरपुर, खैजानपुर, टनदेहर, रुद्रपुर, नागलाहटिला, झण्डी, सुन्दरपुरवा, चित्रपुरवा, सिधारा, शिवसिंहपुर, मनचाना, किशोरपुर, बबुरा, मलिकपुर, रामपिछा, गुलाबपुर, नवादा, बारापुर, भगतपुर, त्रिलोकपुर, धीरपुर, रायहर, अन्तपुरी, नगवा, हुसैनपुर, भुदौली, नागाबुल, नागलाकुशलपुर, कुन्दनपुर, उन्चा इस्लामाबाद, बदनपुर, लालपुर, सदनी, अजीतगंज, नागलासिंहपुर, कच्छपुरा,	भोगीन
		वैजनाथपुर, नागला हरिचन्दपुर, पदरिया (बायें) नागलाजौला, बिछिया, नागला पिनहर, काली नगरा, अम्बलपुर, नागला धरीहर,	जगीर
		टिकसुरी, उत्तमानपुर, मीरपुर गुजराती,	सुल्तानगंज
2.	इटावा	नगरिया, रजौरा, पकनगोई, भुतहाँ, एसपुर, पटना, नौगला सुमाध, उदानपुर, बिकरानपुर, रामनगर, बदरपुर पचहर, भगवानपुरा, बमहनतपुर, पुरनपुरा, घहालवर, हटीला, रामपुर, जयसिंहपुर, अरवा, नागलागोला, हमीरपुर ऊरा,	मरथना
3.	औरैया	उमराय नारी, यसवन्तपुर, वेदपुर, उदयपुर, चन्द्रपुर, हमीरपुर, रतनपुरा, कन्नापुर, श्यामपुर, लछीरामपुरवा, चिरकुवा, नागला बलसौर, पशुवा, सराय पिथौन, लोधपुरा, विकरा, भौदशाला, कंठरपुर, मलखाना, बन्दरिया, उदयपुरवा, हरिवंशपुर, बहादुरपुर, शहबाजपुर, कारापुरवा, लालपुरवा, पटना इरवा, विक्रमपुर, निरंजनपुर, नागला बमशाला, बोगनपुर, पशुवा, कमलसियानपुर, विकपुर, विपुरशहर, पुरवा बसन्ता, रावतपुर, सिंहपुरवा, सबलपुर, बागलापुरवा, मानवपुरवा, मौन्दपुरवा, हरपाला, थाकरगौद, पीरी थाकर गौव,	विधुना
		पुरवागाना, नागला बिछौला, माखनपुरवा,	शहर
4.	रामाबाई नगर	पुरवा हरमा, करचन, राजपुर, सलेमपुर, महिरा, पुरवा धरम सिंह, सुन्दरपुर, गुजैन, नारिहा, पुरवादेवकी, विजलपुर, खान्कवा, लखरदेरवा, मलगाँव, जैनपुर, इकधरा, पुरवा, कधीरा, पुरवा नाथवा, लाजपुरवा, मुकलिसपुर, मानसुरा, रहीमपुर, इनायतपुर, रामदीन पुरवा, कुमानपुरवा, नुराजरीला, किरातपुर, नाथ का पुरवा, पनानीनपुरवा, विलासराजन, पगन (वाहिने पुलिस चौकी), शंकरपुर, मर्दानपुर, सरवन खेरा, मानसिंह का पुरवा, जिगनी का पुरवा, लोहारी, मनेधु, अरखिया, बन्दीर शाहपुर, रसूलाबाद, नगदवारपुर, नगला महिपाल, रंगावन, निवादा टान्डा, पुरवा धर्मसिंह, गरहिया, पुरवा छोट, पुरवा देवकी, पुरवा मक्का, सुनवर्षा, रीशन मऊ, रीशन मऊ, पुरवा नथिया, लाजपुर अमलिया चक, कुबिककापुर, अरवाडा, नहरपुर, साराय हरपाली, नहरपुर, मनसुवा, तेलवाहार, इनायतपुर, सन्तोषपुरवा, रहीमपुर, रामदीनपुरवा, बारा, खुमनपुरवा, नाथ का पुरवा, मदीपुरवा, नुरा, गोपीपुर, विलसरजन, जरिया, सूरजपुर, हृदयपुर, शंकरपुर, मर्दानपुर, गोपीपुर, निरहिमपुर, साराय, मानसिंह का पुरवा, त्रिवेदीपुर, नारायणपुर, कादवी, चमपतपुर, अरखिया, विलसी, बरहरा,	अकबरपुर
		परियापुर, सलेमपुर महेरा,	रसूलाबाद

क्रमांक	जिले का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
5.	कानपुर नगर	दहेली, उज्जगरहाल, भरपुर, भारती पुरवा, राजापुरवा, छट्टा का पुरवा, शिवन, हरिदासपुर, परीरी, रावलपुर, मोहीपुर, बिरसिंहपुर, कछलीपुरी, रसूलपुर उमरा, मोहसीनपुर, बेकसारा, धरीमुजुर्ग, बरेरा, भारतीपुरवा, करेसर, हारादहीरपुर, रानकी, छत्रपुर, गौरी खारा, मदनपुरवा, लक्ष्मनखेरा, मोहीपुर, सुखियापुर, बजरंग खेरा, खेरवापुर, सौन्ज, फरुखाबाद, घटघट्ट, घुसवापुर, बखाननवाडा, पुरवा भोज, मान नवाजा, उत्तरीपुरवा, दसुनवाजा, जैननवाजा, गौरानवाजा, लक्ष्मनपुर, औरावारी, कक्कपुर, निहाल, छत्रपुर नवाजा, तारीखुर्द, बखानकाता, गम्भीरपुर, गगपुल, किन्नापुरवा, सलेमपुर,	घाटमपुर
6.	फतेहपुर	मुलमुलवापुर, गोपालपुर, महलोदीनपुर, कहीमीरपुर, गगदुनपुर, नहियापुर, बेहटा, शहबाजपुर, गंगौली, शिलवान, गौरी, बनारसी, हनुमानगंज, खुर्माबाद, चकहीली, नीरपुर, जहवापुर, अवनगौंव रसूलपुर उमरा, मोहम्मदपुर, सन्दरपुर, ककरहिया, गौरवारी खेड़ा, दाऊदपुर, धनीली, खीमीरीपुर, पाही, लुकोहिया खेड़ा, खेजा, दहीरामपुर, इन्द्र बदन का पुरवा, गदियापुर, गन्धारली, नन्दपुर, चौघा, गंगौली, चिठापुर, सिलवान, बगनपुर, गनवाखेरा, बलहटा, छिछा, जुनिहन, बेहटा, फरीदपुर, पिथौरा,	विन्ध्यखी
		हनुमानखरी, चकअदमपुर, कतरइया, छत्रासलपुर, पहरपुर, धुन्धपुर,	फतेहपुर
		नरीली, अवसोधर, दरियानापुरवा, सरखन्दी, डेराबसरौली, इकदिया, रामपुर, सीलनबवानी, किशनपुर, सुदानपुर, कल्याणपुर, दीवारी, जयजपुर, गोदवापुर, पहाड़पुर, सुनिया, नरीली, चकहीली, सरकन्दी बालपुर, तरपासा, दलपतपुर, लौहरपुर, रतनपुर, कबरा, नगदिलपुर, सिंहरीफतुर, शाहापुर, गिलहरा, बिरसिंहपुर, नगरुआ, मुला, दाता,	खागा
7.	कौशाम्बी	बरीली, बादपुर, देवरा, उनउनतल, फुलीली, साईबरा, उमरा, पलिवन, जजेली, अजरौली, अमरूपुर, मचौली, ओईमपुर, लधौरा, नसूलपुर, बिनीरा, वाइसकान्ती, भवानी का पुरवा, कबरहा, असना, बतवरिया, हकीमपुर, अवाना, ओईमपुर, वसूलपुर, गोपाल मिश्रा का पुरवा, झाधी, छाछपुर, भिवाहा, सरवारपुर, हसीमपुर किनाही,	मंझनपुर
8.	इलाहाबाद	भिलीर, कौलही, बिरवारी, पंथपरही, गोघर कपारा, खुदाई, चरहारी, नन्दखुर, पिपराहा, गोघर, लोहगारा, मिश्रापुर, पुरवा विसवा, मिलावन, लताई, पहाड़ी, बन्दरवा, चमरु, भोदपुरा, हरहा, करियन, विसकुरी, मधुपुरा,	बारा
		मोहदीनपुर, बाबूपुर, नैवती,	इलाहाबाद सदर
		जहादीआही, मैखुर्द, पिपरावा,	मेजा
		बावूपुर, हिनेटी, गौदीनपुर, नवाबपुरवा, बन्दरवा, इमलिया, दन्डपुर, पालपुर, सारंगपुर, कालिन्ध झरा, इरादतगंज, विघइया, भीखटा, चकरमजानअली, ननिगावान, बलिपुर, सुल्तानवा, गुरादपुर, हरिहरपुर, उमरही कटरा, चिददपुर, इनगनपुरवा, पुरवा चन्द्रभान सिंह, पुरमनेष, तरऊल, गतवा, चकमिश्रान, लोगदिया, फतेहपुर तारी, महरीरेवान, हषीमपुर, भीरपुर, कुरैनी, बनलवारारी, बधतर, बधैला, बितर, हरेवा, कचहरा, जरी, निरीवा, गीतमपुरा, अगवैया, इकौनी, कौनदियरा, तेदवी, कुकरही, पहेलु का पुरवा, कुआन, रामगढ़वा, बरसवल, नथुना, गरनहा खुर्द, घारी, कजुरी, निदीरी, बराव, कोकसंद, संजय, नऊवा, कल्याणसाहिब, पारा, काइन, धीरहा, हरकटोरवा, बंधडिला, देवरी, चकसरीपुर, भुगा, दलवारी, चकसिमरा, नरनिश्रा, पुरा गुरुदास, दसाई बन्दवा, गौदनगिरा, मिठाई का पुरवा, बोधरिया का	करछना

क्रमांक	जिले का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
		पुरवा, बरीली, बदगोहाना खुर्द, बदगोहाना कलान, बजिहो, धनकु का पुरवा, नौगवान, दुदरी, जेठपुर, सीनदही, कोलहुआ, जारी, कटरा, पण्डित का पुरवा, सिमरी, खीरी, मिर्चौना, छिपुन्दा, अन्तरकलान, लोहा मान्य का पुरवा, गजमाना, दाण्डो, अमन का पुरवा, दीवान का पुरवा, कच्चीली कंचनडवान,	
9.	अम्बेडकर नगर	फतेहपुर, रोखचक, दानपुर, ताजपुर, समरहिया, कुरकुरी, दयापुर पुरवा, शनवपुर, गोविन्दपुर,	टापड़ा
10.	बस्ती	भदरिया, शादीपुर, बधियरपुर, रानीपुर, संसारपुर, देवराबाद चौहान, सुनेरापुर, कुआगाँव, शोखपुर, पुरेबाद, शक्तिपुर, साईपुर, गंगीपुर, टिकरिया, खातम सराय, रामनगर, केसरनगर, विधौरा,	हरईया
11.	गोण्डा	लालपुर, निफरौजा, बाबतपुरवा, पण्डितपुर, मीरपुर, कल्याणपुर, लखन सिंह का पुरवा, सोभापुर, बेरीपुरवा, कनकल्याणपुरवा, बलीपुर, घसनपुर, डलपुर, दरीरा, गोसम, दर्जीपुरवा, नौसेरा, कलहनपुरवा, पसीगाँव, धिवाला, नमदाही, उमरपुर, सकलनपुरवा, भगनपुर, लौवतपुरा, पुरवा राम दयाल, पाण्डेय पुरवा, हरिजनपुरवा,	तरवगंज
		ज्ञानपुर, मालनपुरवा, चकसरिया, सुभाशनपुरवा, बेनीप्रसाद पुरवा,	गोण्डा
		बाघलपुरवा, कादीपुर, नारायणपुर, बालनपुरवा, निमहनपुरवा,	करनैलगंज
12.	बहराइच	हरिचन्द्र, इलानाबाद पविथा, खन्डैला, रंगाईपुरवा, गाजीपुरवा, दखैदापुरवा,	केसरगंज
13.	बासबंकी	अकौना, संतनगर, महुअर नगर, लैलापुरवा, रानीपुरवा,	रामनगर
14.	सीतापुर	पारा, बसन्तीपुर, कन्जवारा, सदरपुर, बहेदा, जाफरपुर, गंगरीला, चलकपुर, देवसराय, मनकापुर, पदरिया,	महमूदाबाद
		बटपुरवा, जंगल विलाई, बुदनापुर, नकारा, जसवंतनगर, शंकरपुर, तैवरा, इसेपुर, बरिहमाबाद, सलरगंज, कटैया, इटरिया,	बिसवा
		महोरिया, परसन्दी, जैनपुर, सीजाबाद, एरवा, समहौली, गराईपुर, अगरसी, गड़डीपुर, हरिकिशनपुर, सिंहहौरा, टिकर, अदुहरा, सरसुन्दा,	सीतापुर सदर
15.	लखीमपुर खीरी	बन्धुखेड़ा मधुमनी, हरनहा, लिछियायी, चखदिया, हरिशम खेड़ा, सिरहा, मुखदरपुर, रामपुर, रहिमापुर, दबवरापुर, अंतवारी, पिपरहा, देरपुरवा, काकीघरा, कटिहामुण्डी, घहाला,	मोहमदी
16.	शाहजहाँ पुर	चकमत्तहर, दिलावरपुर, चकबडितारा,	शाहजहाँपुर
17.	एटा	रेजकुरा, नागलाफुके, फतेहपुर खोरा, नागला मंगीली, सेनहा काला, रिजोरे मार्केट, सिकन्दरपुर, सेवाजपुर, गोपालपुर, नागला कनीली, शोखपुर सहानी, अहमदपुर, पाणोटू मार्केट, सुन्दरपुर, नागला गहदरिया, फतेहपुर, नागला भीम, पाटी, गदरका, जवाहरपुर, स्टेशन, किशनपुर, कुकराला, रसतम गढ़, नागला बारी, हयानपुर, ओलेखर, नागला मानी, मेहमदपुर, नागला सुन्दर, नागला पौजी,	एटा सदर
18.	हाथरस	जिरीली कलर, पुलराय, सिकन्दरराव, सुन्दरपुर, लखरगंज, बरदमोई, नागलाहर, करमापुर, रतनपुर, हुसैनपुर, पुहरपुर,	सिकन्दरराव
19.	अलीगढ़	चन्द्रपुर, सुसयान, किरतपुर,	कौल
20.	कन्नौज	परोरा, सराय कयाम, वीरपुर, बहादुरपुर, हुसपुर, पुरवा भागी, गादपुरा, सपना, पुरवामन्ना, रावतपुर, कुवरपुर, गहनेश, पुरतीला,	छिबरा मऊ तीरवी

क्रमांक	जिले का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
		सरौली, इनजनपुर, नयापुरवा,	रसूलाबाद
21.	उन्नाव	मरीन्दा, परिअर, मोमिनपुर, देरा, परमानी, थाना, अकबरपुर दबेली, महावीर खेरा, बाबू खेरा, बलदन्तखेरा, गहिपात खेरा, जहनु खेरा, रामपुर, कैतरीखेरा, मुतवल, मुर्तजा नगर, ससय,	उन्नाव सदर
22.	लखनऊ	निजामपुर, बरीमा, नागला बरीमा, राजाखेरा, जगनखेरा, सुनाईखेरा, रानीखेरा, बुद्धखेरा,	लखनऊ सदर
		दाउदनगर, सयानपोथ, पशहेता, उर्मदखेरा,	मोहनलाल गंज
23.	सन्तरवि दास नगर	भागलपुर, लिलाधरपुर टोला, बगनीसी, लिलाधरपुर,	औसाई

और चूंकि, अनुज्ञापिधारी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अन्तर्गत सभी शक्तियां उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया है, जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किये जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइन और खंभे लगाने के संबंध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास है।

अतः, अब, पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अन्तर्गत विद्युत की राज्यान्तरिक पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन, अनुज्ञापिधारी को प्रदान करता है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए अथवा अनुरक्षित किये गये या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किये जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइन एवं खंभे लगाने के संबंध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास है :-

1-अनुमोदन 35 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

2-अनुज्ञापिधारी को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व, संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

3-अनुज्ञापिधारी को पारेषण, ओ. एंड. एम. खुली पहुंच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/कोडों का अनुपालन करना होगा।

4-अनुज्ञापिधारी केवल अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र में ही विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण हेतु उत्पादन स्टेशन द्वारा, करछना, मेजा एवं टांडा से उत्पादित ऊर्जा की निकासी के लिए विद्युत पारेषण लाइनों का प्रयोग करेगा।

5-अनुज्ञापिधारी संबंधित राज्य के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा।

6-यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुज्ञापिधारी द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।

आज्ञा से,
संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the English translation of notification no.795(1)/XXIV- Uni.Ni.Pr.-13-48(Prakosh)-10, dated September 02, 2013 :

NO. 795(1)/XXIV- Uni. Ni. Pr.-13-48(Prakosh)-10

Dated Lucknow, September 2, 2013

WHEREAS SOUTH EAST UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED the licensee, with its registered office at 601-602, Shalimar Titanium, 6th floor, Plot No.TC-G-1/1, Near Indira Gandhi Pratishthan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 being a licensee for *Inter State* Transmission of electricity having a license under the Electricity Act, 2003 for the State of Uttar Pradesh has applied for approval of the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Power.

AND, WHEREAS, on May 31, 2012 vide letter no. 359/XXIV-U.N.N.P/12-48 (Prakosh)-10, the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Power, had granted to the licensee approval under section 68 of the Electricity Act, 2003 for the following Transmission Scheme.

Name of Transmission Scheme - 765 kV S/C Mainpuri- Bara Line with 765 kV / 400 kV AIS at Mainpuri and Associated Schemes/Works.

The works/project elements covered under the scheme are as follows.

SCHEDULE

Sl. no	Works/Project Elements	Approx Line Length	Sl. no.	Works/Project Elements	Capacity
	Transmission Lines			Substations	
1.	765 kV S/C Mainpuri- Unnao Line	192 KM.	1.	765/400 kV Mainpuri sub-station	2000 MVA
2.	765 kV S/C Mainpuri - Bara Line (Ckt I)	362 KM.	2.	400/220 kV Rewa Road sub-station, Allahabad	630 MVA
3.	765 kV S/C Mainpuri - Bara Line (Ckt II)	362 KM.	3.	400/220/132 kV Gonda Sub-station	830 MVA
4.	400 kV D/C Mainpuri- Aligarh Line	93 KM.	4.	400/220/132 kV Sultanpur Road sub-station, Lucknow	1320 MVA
5.	400 kV D/C Gonda- Shahjahanpur Line	220 KM.	5.	400/220/132 kV Aurai Sub-station, Sant Ravi Das Nagar	950 MVA
6.	400 kV D/C Tanda- Gonda Line	95 KM.			
7.	400 kV D/C Rewa Road - Meja Line	33.5 KM.			
8.	400 kV D/C Rewa Road - Karchana Line	29.2 KM.			
9.	400 kV D/C Bara- Meja Line	29.2 KM.			
10.	400 kV D/C Bara- Karchana Line	39.5 KM.			
11.	L.I.O of Both circuits of 400 kV D/C Orai- Mainpuri(PG) at Mainpuri (765 kV)	43.3 KM.			
12.	L.I.O of 400 kV Panki- Obra at 400 kV Rewa Road, Allahabad	0.8 Km.			
13.	L.I.O of 400 kV Sarojininar-Kursi Road (PG) at 400 kV Sultanpur Road, Lucknow	6.5 KM.			
14.	L.I.O of 400 kV Obra- Sultanpur at 400 kV Aurai, Sant Ravidas Nagar	1.2 Km.			

Of approximately 1508 km. passing through agriculture lands of various villages, crossing over the National and State Highways, Railway lines, Local Authority areas etc. The Transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities.

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
1	Mainpuri	Gurukul, Nagla Khira, Nagla Puna, Nagla Imaliya, Badanpura, Nagla Gokulpur, Sagotini, Nagla Jaswantpur, Nagla Sukhlai, Ghitauli, Nangla Jhara, Raipura, Khirdarpur, Kurusara, Jaurai, Nagla Bakti, Dadpur, Patara, Bindkipur, Sultanpur, Nagla Mainbath, Goplapur, Nagla Jhetki, Angautha, Igaderahar, Nagla Ranipur, Sathni, Jammam, Jagai, Daanahar, Nagla Mukandpur, Dhigra, Sathni Dalitpur, Nagla Harchandpur, Balabhiyaa Ghamura, Gharia, Udayat Pur, Kharra, Gargi, Akahi Nagla, Shiyampur, Ujhayapurva, Jabalpur, Kuberpur, Swajpur, Nagala Har, Nagala Mahanand, Devpurva, Aouchha Market, Balampur, Achalpur, Nagalapipla, Manpur, Gadiya, Nagla Tuli, Jaramai	Mainpuri Sadar
		Udepur, Makrandpur, Mahupur, Hatchi, Dharmangodpur, Kodaria, Nagla Godaria, Mendpur, Nagla Gogh, Kusmatkhera	Kathal
		Rajpur Kalan, Nagal Mukand, Dulhapur, Dondifer, Marior, Ramnagar, Garhi Kensa, Dalip Khurd, Jatpura, Gokulpur, Udaipur Kalan, Udaipur Khurd, Kishanpur, Lalman, Meghpur, Ruderpur, Mahri, Pilwahar, Poharpur, Binipur, Dalip Kalan, Meherian, Nagla Dunde, Balampur, Lakhampur, Kunwarpur, Khijampur, Tandehar, Ruderpur, Nagla Lalman, Bahadurpur, Nagla Bandah, Nagaria Bhagi, Kunwerpur, Khana Bandh, Hatila, Dande, Sundarpurwa, Chitrapurwa, Shyara, Shirsingpur, Manchana, Kishorepur, Bhaghura, Mallikpur, Rampicha, Gulabpur, Navada, Bharapur, Bhakatpur, Trilokpur, Dhirpur, Raihar, Antpuri, Nagtha, Hussainpur, Budhauri, Nagalagul, Nagla Kushalpur, Ramnagar, Kundanpur, Uncha Islamabad, Badanpur, Lalpur, Sathni, Ajit Ganj, Nagla Singh Pur, Kachhpura.	Bhogaon
		Bajinath Pur, Nagla Harichand Pur, Padariya (Left), Nagla Jola, Bichiya, Nagla Pinhar, Kail Nagra, Amber Pur, Nagla Garihar	Jagir
		Tiksuri, Usman Pur, Mecra Pur Gujrati	Sultan Ganj
2	Etawah	Nagaria, Rajjura, Nagaria, Pakhangoi, Bhutha, Daspur, Patna, Nogla Subbasb, Udanpur, Bikrampur, Ramnagar, Bahadurpur Pachar, Bhagwanpura, Bamhantpur, Puranpura, Gahalwar, Hatila, Rampura, Jaysinghpur, Airwa, Nagla Gola, Hamirpur Rura	Barthana
3	Aurriya	Umrainari, Jaswantpur, Bhedpur, Udaipur, Chandarpur, Hamirpur, Rathampur, Kannapur, Shyampur, Lachirampurwa, Chirkuwa, Nagla Bhalasur, Pasuwa, Sarai Pithon, Lodhpura, Bhikra, Bhodsala, Katrarapur, Malkhana, Bhandaria, Udai Purwa, Harbanspur, Bahadurpur, Shahbajpur, Kara Purwa, Lalau Purwa, Patna Airwa, Vikrampur, Niranjanpur, Nagal Bamsala, Bhoganpur, Pasua, Kamalsiyapur, Bikpur, Bippur Sahar, Purwa Basanta, Harbanspur, Rawatpur, Singh Purwa, Sabalpur, Bagla Purwa, Mano Purwa, Mahchand Purwa, Shahbajpur, Harpala, Thakurgaon, Pauri Thakurgaon, Purwa Mana, Nagla Bichola, Makhan Purwa	Bidhuna
			Sahar
4.	Ramabhai Nagar	Purwa Harma, Karchan, Tajpur, Salempur Mahera, Purwa Dharam Singh, Sunderpur Gujain, Garhiwa, Purwa Deoki, Bijalpur, Sunwarra, Lakhar Derwa, Malgaon, Chainpur, Ekghara Purwa, Kathaura, Purwa Nathuwa, Lajpur, Muklishpur, Mansura, Rahimpur, Inayatpur, Ramidin Purwa, Kuman Purwa, Nurra, Jaraila, Kiratpur, Nath Ka Purwa, Pannamin Purwa, Bilsarajan, Paman RS Police Chauky, Shankarpur, Mardanpur, Sarvankhera, Mansingh Ka Purwa, Jigni Ka Purwa, Lohari, Manethu, Arkhia, Kandri Champatpur, Monora, Thakurgaon, Pauri Thakurgaon, Makhan Purwa, Purwa Ahiran, Shahpur Rasulabad, Nakdawapur, Nagla Mahipal, Sangawan, Newada Tanda,	Akbarpur

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
		Purwa Dharam Singh, Garhiwa, Purwa Chota, Purwa Deoki, Purwa Malka, Sunwarsa, Lamhaura, Bhawanpur, Kari Kishwari, Purwa Gosain, Sumerpur, Choinpur, Kailhaura, Roshanmau, Roshanmau, Purwa Nathu, Lajpur, Amliha Chak, Kudikwapur, Arhwa, Naharpur, Sarai Har Pali, Naharpur, Mansura, Telwahar, Inaypur, Santosh Purwa, Rahimpur, Ramdin Purwa, Barah, Khuman Purwa, Nath Ka Purwa, Maddi Purwa, Nura, Gopipur, Bilsarajpur, Jamiya, Surajpur, Hindapur, Shankarpur, Mardapur, Gopipur, Nirahimpur, Sarai, Mansingh Ka Purwa, Trivedipur, Naranpur, Kandri, Champathipur, Arkhia, Bhilsi, Dharahra	
		Pariyapur, Salempur Mahera	Rasulabad
5	Kanpur Nagar	Daheli Ujagarial, Bharatpur, Bharti Purwa, Raja Parwa, Chatta Ka Purwa, Siphon, Hridaipur, Parmori, Rawatpur, Mohipur, Birsingpur, Karchalipuri, Rasulpur Umra, Mohasimpur, Baksara, Dari Bujurg, Barera, Bharti Purwa, Kharesar, Hara, Dhirpur, Chhaunki, Chhetarpur, Gouri Kakra, Madan Purwa, Lakshman Khara, Mohipur, Sukhiyapur, Bajrang Kheda	Ghatampur
		Kherwapur, Saun, Farrukhabad, Ghagu, Ghuswapur, Bhawan Nawada, Purwa Bhoj, Bhawan Nawada, Man Nawada, Badan Nawada, Uttari Purwa, Dasu Nawada, Chain Nawada, Gauran Nawada, Lachman Pur, Aura Bari, Kakupur Nihal, Chatarpur Nawada, Tari Khurd, Barwan Kala, Gambhirpur, Ghagpur, Chinta Purwa, Salempur	Bilher
6	Fatehpur	Bhulbhullaiyapur, Gopalpur, Mohluddinpur, Kahimiripur, Bhagaunapur, Nahiyapur, Behta, Shahbajpur, Gangauli, Silawan, Gauri, Banarsi, Hanumangarh, Khurramabad, Mohanpur, Chhatarsalpur, Dhamema, Nonia Ka Purwa, Nandlalpur, Sunia, Paharpur, Chak Hauli, Mirapur, Jhabbapur, Abhangaon, Rasulpur Umra, Mohammadpur, Sundharpur, Kakrahiya, Gausari Kheda, Dudepur, Dhamauli, Kahimiripur, Pahi, Lukoiyakhara, Khajua, Bihirampur, Inder Badan Ka Purwa, Gandiyapur, Gandharpi, Nandapur, Chicha, Gangauli, Thithaura, Silawan, Bhagaunapur, Ghanwakhera, Chalhata, Chhichha, Janihan, Behta, Faridpur, Thithaura.	Bindki
		Hanumangarhi, Chak Adampur, Kakraiha, Chhatrasalpur, Paharpur, Dundra.	Fatehpur
		Narauli, Asothar, Dariyans Purwa, Sarkandi, Dera Bhasraul, Ekdin, Rampur, Solon Bhabani, Kishanpur, Sudanpur, Maukala, Tarapar, Loharpur, Ratanpur, Kabra, Nagdipur, Siharipata, Ghosi, Shahapur, Kalnapur, Diwari, Jaajipur, Godhwapur, Paharpur, Sunia, Narauli, Chak Hauli, Sarkandi, Wallpur, Solon Bhabani, Kishanpur, Godhwapur, Tarapar, Dalpatpur, Loharpur, Ratanpur, Kabra, Nagdipur, Siharipata, Shahapur, Gilehara, Birsingpur, Bhula, Nagarawa, Dhata	Khaga
7	Koushambi	Barauli, Bhadpur, Deora, Unomai, Kulauli, Saibara, Umra, Paliwan, Jajauli, Ajroli, Anrupur, Machhauri, Oainpur, Ladhaura, Nasultapur, Benaura, Bais Kanti, Bhawani Ka Purwa, Kabraha, Asna, Bhatwaria, Hakimpur, Awana, Oainpur, Rasulpur, Gopal Misra Ka Purwa, Jathi, Chhajur, Bhiwaha, Sarwarpur, Sarwarpur, Hashimpur Kinai.	Manjhanpur
		Bhilor, Kulhai, Derabari, Pachpahari, Ghoghar, Khapara, Khudai, Charhari, Laund Khurd, Pipraha, Bhilor, Kulhai, Charhari, Ghoghar, Lohgara, Mishrapur, Lohgara, Pura Baishya, Bhilawan, Lalai, Shri Tara, Pahari, Bhandrwa, Chamu, Boudhpura, Harha, Kharian, Bhiskuri, Madhupura.	Bara

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
8	Allahabad	Muhaddin Pur, Babu Pur, Neuti	Allahabad Sadar
		Jhadiahi, Mai Khurd, Pipraon	Meja
		Babupur, Hinauti, Muhaddin Pur, Nawapurwa, Bandhwa, Imlia, Dandapur, Palpur, Sarangapur, Kalimra, Iradiganj, Bigahia, Chaukhata, Chak Ramra, Ali, Nandipur, Baitpur, Baitawa, Muradpur, Hachampur, Umera, Kora, Chakdihari, Haringan, Purwa, Para Chandrabhan Singh, Para Ganesha, Jauli, Ghutwa, Chak Mishran, Logdaha, Fatehpur, Thari, Mahori Rewan, Hushampur, Bhirpur, Purain, Baniyawari, Bastar, Basaila, Bhitar, Haraiya, Kachra, Jari, Niraundha, Gautampura, Gautampura, Agwaiya, Ekauni, Kaundhiara, Tendui, Tendui, Kularhi, Pahela Ka Purwa, Kuan, Ramgarhwa, Barwal, Nachura, Garna Khurd, Dhari, Khajuri, Nidauri, Baraon, Koksand, Sanjai, Naua, Kalyan Sahib, Para, Khain, Dhauraha, Harkaterwa, Basdila, Doori, Chak Saripur, Bunga, Dalwabar, Chak Semra, Garnitara, Para Ghurdwara, Dasai Bandhwa, Gauhanga, Minhai Ka Pura, Bodharia Ka Pura, Barauli, Bari, Badgohna Khurd, Badgohna Kalan, Bajjho, Danku Ka Pura, Naugawan, Dhondri, Jethupur, Sondhia, Kollua, Jari, Katra, Pandit Ka Pura, Semri, Khiri, Nichauna, Chipaundha, Antari Kalan, Lokman Ka Pura, Bajbana, Dandi, Aman Ka Pura, Diwan Ka Pura, Kathauli, Kanchanawan	Kachhara
9	Ambedkar nagar	Fattepur, Shekhchak, Danpur, Tajpur, Samraha, Khurkhuri, Dayapur Purwa, Sandpur, Gobindpur	Tanda
10	Basti	Bhawariya, Saadipur, Badhiyapur, Ranipur, Sansarpur, Devrabad Chauhan, Sunerapur, Kuvagaon, Shekhpur, Purebad, Saktipur, Saipur, Gangipur, Tikaria, Khatansarai, Ramnagar, Kesarnagar, Ridhaura	Harraiya
11	Gonda	Lalpur, Nikhrauja, Babatpurwa, Padipurwa, Mirpur, Kalyanpur, Lakhansinghkapurwa, Sobhapur, Beripurwa, Kankaliyanpurwa, Ballipur, Ghasanpur, Dalpur, Daraura, Gosang, Darjipurwa, Naushera, Kalhanpurwa, Pasiagaon, Sivala, Nagdahi, Umarpur, Saklanpurwa, Baganpur, Lauvatapra, Purva Ram Dayal, Pandeypurwa, Harijanpurwa	Tarabganj
		Gyanpur, Malanpurwa, Chaksaria, Subhansanpurwa, Beniprasad Purwa,	Gonda
		Bachalpurwa, Kadipur, Narayanpurwa, Balanpurwa, Nimhanpur	Cornelganj
12	Bahraich	Harchanda, Islamabad Paviya, Kandela Rangaipurwa, Gajipurwa, Thekedarpurwa,	Kesarganj
13	Barabanki	Akona, Santnagar, Mouharnagar, Lilapurwa, Ranjipurwa,	Ramnagar
14	Sitapur	Para, Basantipur, Kanjwara, Sadarpur, Baheda, Jafarpur, Gangrela, Chalakapur, Devsarai, Mankapur, Padriya	Mahmoodabad
		Butpurwa, Jangalvilai, Purwa, Bodhnapur, Nakara, Jaswantnagar, Sankarpur Teora, Isepur, Berhimabad, Salarganj, Katia, Itaria,	Biswa
		Sitapur Sadar, Mohoria, Parsandi, Janipur, Saizabad, Airwa, Sahmoholi, Garaipur, Angrashi, Gaddipur, Harikishanpur, Singhaura, Tikar, Adhuara, Sarsunda	Sitapur Sadar
15	Lakhimpur Kheeri	Bandukheda, Madhumani, Harnaha, Lidhiyai, Chakhadin, Hariramkheda, Siraha, Mukdarpur, Rampur, Rahimapur, Dabhaura, Antarwari, Pipraha, Derpurwa, Katighara, Katihamundi, Chhala,	Mohamdi
16	Shahjahanpur	Chakmajhra, Dilawarpur, Chak Bhitara	Shahjahanpur
17	Etah	Rejpura, Naglafuke, Fatehpurkhora, Nagla Mangoli, Senha Kala, Rizore	Etah Sadar

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
		Market, Sikandar Pur, Sewaj Pur, Gopalpur, Nagala Kanoli, Shekhpur Sahani, Ahamadpur, Phapotu Market, Sundarpur, Nagalaghudriya, Fatehpur, Nagala Bheem, Patti, Badarka, Jawaharpur Station, Kishanpur, Kokralla, Rustamgarh, Nagala Bari, Shayampur, Dholeshiwar, Nagalamani, Mehmadpur, Nagala Sundar, Nagala Fouzi	
18	Meerut	Reothi Kalar, Phulera, Sikandarpur, Sundarpur, Lashkarpur, Daudpur, Nagalahar, Karampur, Katanpur, Hussampur, Paharpur	Sikandarpur
19	Aligarh	Chandpur, Susayan, Kiratpur	Kol
20	Kanauj	Paraura, Sarai Kayani, Birpur, Bahadurpur, Badarpur, Huspur, Purwa Bhogga, Madhura, Sapna	Chitrabraman
		Purwa Maina, Rawatpur, Kutwarpur, Bhigera, Purwatola	Purwa
		Saruhi, Hanjampur, Naya Purwa	Rasulabad
21	Unnao	Maronda, Pariar, Mominpur, Aira, Parmani, Thana, Akbarpur Dabauli, Mahabeer Khera, Babu Khera, Balwant Khera, Mahipat Khera, Jhau Khera, Rampur, Kesari Khera, Butwal, Murtaja Nagar, Sarai	Unnao Sadar
22	Lucknow	Nijampur, Barauna, Nagla Barauna, Raja Khera, Jagan Khera, Sunai Khera, Rani Khera, Budha Khera	Lucknow Sadar
		Dawood Nagar, Sayyan Gaoth, Parheta, Umrd Khera	Mohanlal Ganj
23	Sant Ravi Das Nagar	Bhagla Pur, Liladhar Pur Tolla, Liladhar Pur, Bagnauti	Aurai

AND, WHEREAS, the licensee has now requested to confer upon him all the power under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained.

NOW, THEREFORE, after careful consideration, Government of Uttar Pradesh, Ministry of Power, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the licensee which telegraph authority possesses under the Indian telegraph Act, 1885 with respect to the placing of lines and posts for the purposes of telegraph established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned *intra state* transmission lines for transmission of electricity namely :-

- The approval is granted for 35 years.
- The Licensee shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways etc. before erection of proposed lines.
- Licensee shall have to follow regulations/codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc.
- The Licensee shall use these lines for evacuation of the power from generating station at Bara, Karchana, and Meju & Tanda to its licensed area only.
- The Licensee shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective state.
- The approval is subject to compliance by the Licensee to the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the Rules made there under.

By order,
SANJAY AGGARWAL,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 374 राजपत्र (हि०)-2013-(789)-599-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/अफसेट)।

संस्तुति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औरैया वन प्रभाग, औरैया में साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के० वी० मैनपुरी - बारा एकल परिपथ ट्रांसमिशन लाइन सर्किट -1 के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे० के हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021 (94) - 2017 के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 के निर्माण कार्य हेतु जनपद औरैया के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि 0.3456 हे० सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड वचनबद्ध है कि उक्त प्रस्तावित 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 के निर्माण में बाधक वृक्षों का कम से कम पातन किया जाएगा।



संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारिषण

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

**765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों
कि सूची**

अछल्दा रेंज - औरैया

क्रम सं०	नाम	परिधि (सेमी०)	संख्या	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
01.	शीशम	230	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड
02.	शीशम	174	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड
03.	शीशम	90	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड
04.	नीम	60	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड
05.	कंजी	40	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड
06.	बेर	110	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड
07.	कंजी	40	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड
08.	कंजी	20	1	हरा खड़ा	बेला - डिवियापुर रोड



(संजय कुमार सिंह)
 महाप्रबंधक -पारेषण लाइन


प्रभाषीय वननिधिकारी
प्रतिहस्ताक्षरित औरैया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

**765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों
कि सूची**

विधूना रेंज - औरैया

क्रम सं०	नाम	परिधि (सेमी०)	संख्या	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
01.	चिलबिल	00-30	25	हरा खड़ा	विधूना - कुद्राकोट रोड
02.	नीम	00-31	10	हरा खड़ा	विधूना - कुद्राकोट रोड
03.	शोशम	00-31	03	हरा खड़ा	विधूना - कुद्राकोट रोड
04.	बेरी	00-31	45	हरा खड़ा	विधूना - कुद्राकोट रोड
05.	कंजी	00-31	110	हरा खड़ा	विधूना - कुद्राकोट रोड
06.	विलायती बबूल	00-31	13	हरा खड़ा	विधूना - कुद्राकोट रोड
07.	ढाँख	00-31	06	हरा खड़ा	विधूना - कुद्राकोट रोड
कुल			212		



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन



विषय : जनपद औरिया के अन्तर्गत 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों कि सूची

अछल्टा रेंज - औरिया

क्रम सं०	वानस्पतिक नाम	स्थानीय नाम	परिधि (सेमी०)	संख्या	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी	सन्दर्भ
01.	Azadirachta indica	नीम	00-30	01	हरा खड़ा	बेला - दिबियापुर रोड	279 - 280 Km
02.	Dalbergia sissoo	शीशम	00-30	03	हरा खड़ा	बेला - दिबियापुर रोड	279 - 280 Km
03.	Ziziphus mauritiana	बेरी	00-30	01	हरा खड़ा	बेला - दिबियापुर रोड	279 - 280 Km
04.	Godhamb kanji	कंजी	00-30	03	हरा खड़ा	बेला - दिबियापुर रोड	279 - 280 Km
कुल				08			



विषय : जनपद औरिया के अन्तर्गत 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची

बिधूना रेंज - औरिया

क्रम सं०	वानस्पतिक नाम	स्थानीय नाम	परिधि (सेमी०)	संख्या	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी	सन्दर्भ
01.	Holoptelea integrifolia	चिलबिल	00-30	25	हरा खड़ा	बिधूना - कुद्राकोट रोड	समीप चिरकुआ गांव
02.	Azadirachta indica	नीम	00-30	10	हरा खड़ा	बिधूना - कुद्राकोट रोड	समीप चिरकुआ गांव
03.	Dalbergia sissoo	शीशम	00-30	03	हरा खड़ा	बिधूना - कुद्राकोट रोड	समीप चिरकुआ गांव
04.	Ziziphus mauritiana	बेरी	00-30	45	हरा खड़ा	बिधूना - कुद्राकोट रोड	समीप चिरकुआ गांव
05.	Godhamb kanji	कंजी	00-30	110	हरा खड़ा	बिधूना - कुद्राकोट रोड	समीप चिरकुआ गांव
06.	Prosopis Juliflora	विलायती बबूल	00-30	13	हरा खड़ा	बिधूना - कुद्राकोट रोड	समीप चिरकुआ गांव
07.	Butea Frondosa	ढाँख	00-30	06	हरा खड़ा	बिधूना - कुद्राकोट रोड	समीप चिरकुआ गांव
कुल				212			



Joint Inspection Report

Page 2 of 2

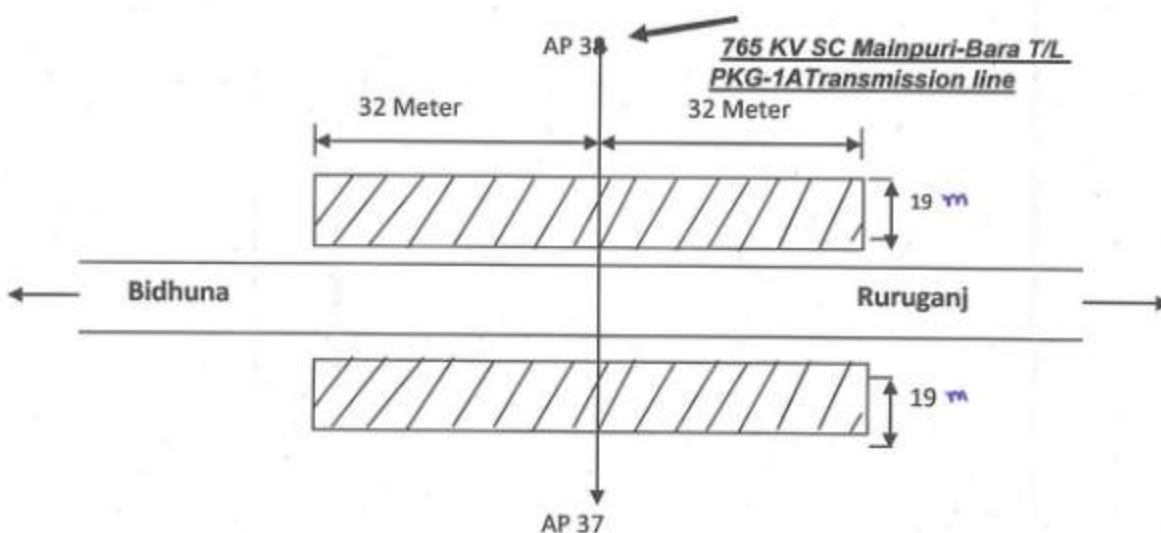
Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1) TRANSMISSION LINE

Forest Range: Bidhuna

Crossing / Milestone: k.m Between 3-4

District: Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $1216 / 10000 = 0.1216$ Hac.

Total = $1216 + 1216 = 2432$ ($2432 / 10000 = 0.2432$)

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	Sheesham	(0-30)	38	RIGHT SIDE (GREEN)
2	Vilayti Babool	(0-30)	8	RIGHT SIDE (GREEN)
3	Beri	(0-30)	31	RIGHT SIDE (GREEN)
4	Neem	(0-30)	13	RIGHT SIDE (GREEN)
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total			90	

For SEUPPTCL



Section Officer

(Signature)
(Date)

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी
विधुना रेन्ज

43

Joint Inspection Report

Page -1 of 1

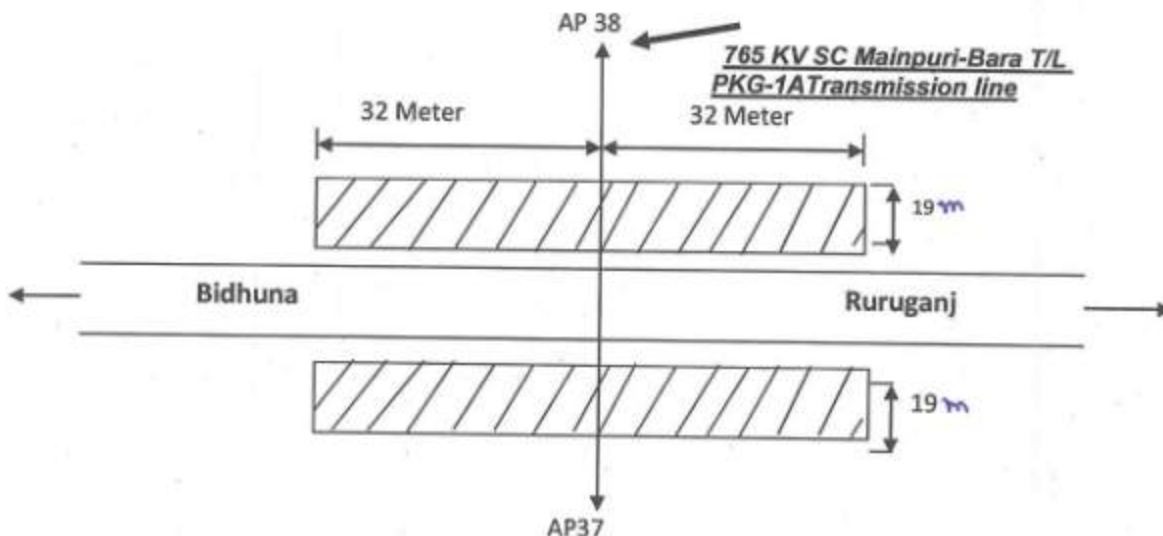
Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1) TRANSMISSION LINE

Forest Range: Bidhuna

Crossing / Milestone:- K.M Between 3 - 4

District: Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $1216 / 10000 = 0.1216$ Hac.
List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	NEEM	100 C.M	1	LEFT SIDE (GREEN)
2	NEEM	80 C.M	1	LEFT SIDE (GREEN)
3	NEEM	100 C.M	1	LEFT SIDE (GREEN)
4	SHEESHAM	90 C.M	1	LEFT SIDE (GREEN)
5	NEEM	70 C.M	1	LEFT SIDE (GREEN)
6	NEEM (Dry)	60 C.M	1	LEFT SIDE (DRY)
7	CHILBIL	(0-30)	4	LEFT SIDE (GREEN)
8	SHATOOT	(0-30)	1	LEFT SIDE (GREEN)
9	LAVEDA	(0-30)	1	LEFT SIDE (GREEN)
10	BERI	(0-30)	2	LEFT SIDE (GREEN)
11	SHEESHAM	(0-30)	4	LEFT SIDE (GREEN)

TOTAL = 18 ✓

For SEUPPTCL

Section Officer

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी

बिधूना रेंज



MRTIwan

(Signature)
01/11/22

Joint Inspection Report

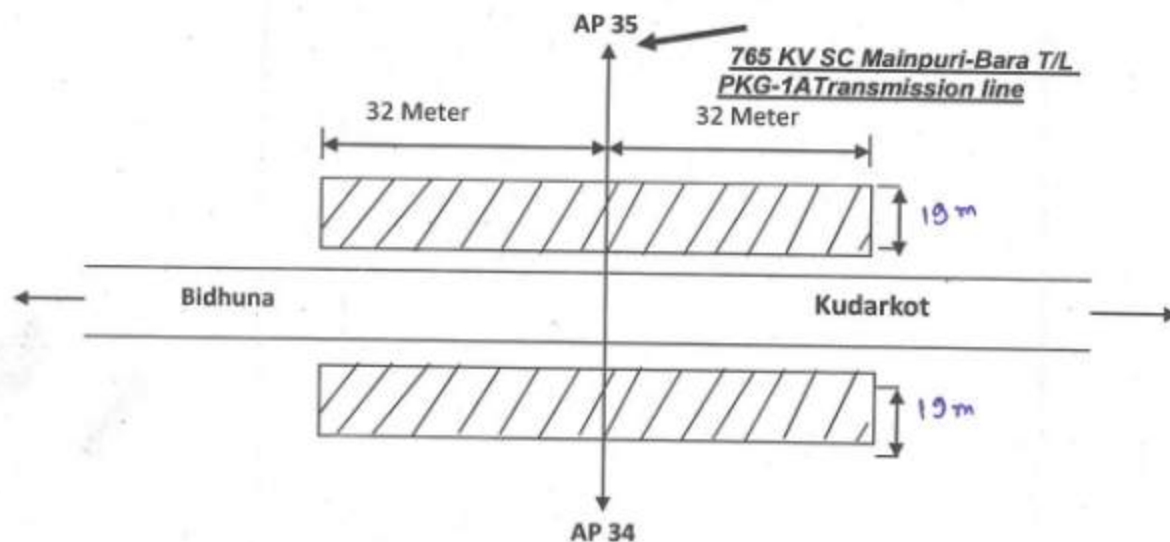
Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1)
TRANSMISSION LINE

Forest Range: -Bidhuna

Crossing / Milestone: - Near Vill- (Chirkua)

District: -Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $2432 / 10000 = 0.2432$ Ha.

Total = 2432

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	CHILBIL	(0-30)	25	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
2	NEEM	(0-31)	04	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
3	SHEESHAM	(0-31)	03	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
4	BERI	(0-31)	17	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
5	KANJI	(0-31)	06	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
6	VILAYATI BABOOL	(0-31)	10	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
7	BERI	(0-31)	28	LEFT SIDE (GREEN) ✓
8	VILAYATI BABOOL	(0-31)	03	LEFT SIDE (GREEN) ✓
9	KANJI	(0-31)	104	LEFT SIDE (GREEN) ✓
10	NEEM	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
11	DHANK	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓

TOTAL = 212

For SEUPPTCL



Section Officer

(Signature)
वनाधिकारी

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी
विधुना रेंज

Joint Inspection Report

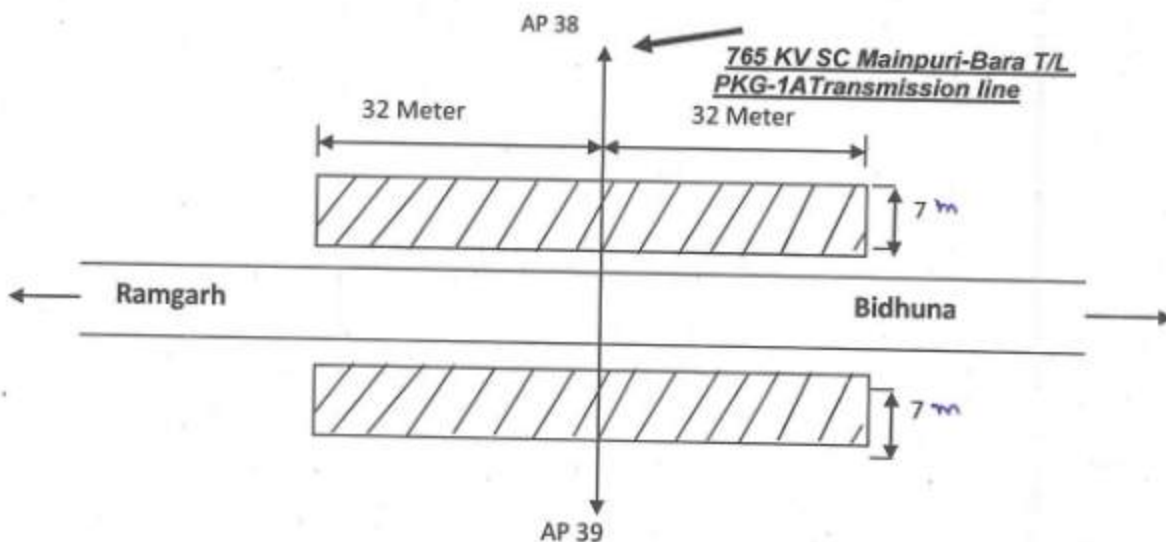
Crossing details of Roads / Railway line /Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT – 1)
TRANSMISSION LINE

Forest Range: Bidhuna

Crossing / Milestone: K.M between 4 – 5 (Vill – Bhikhra)

District: Auraiya

Date:- 18.10.2022



Area of protected forest strip: $64 \times 7 = 448$ Sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 7 = 448$ Sq. Mtr.

Total = 896

$$896 / 10000 = 0.0896 \text{ Hac.}$$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	NEEM	190 C.M	1	LEFT SIDE (GREEN)
2	NEEM	112 C.M	1	LEFT SIDE (GREEN)
3	BAKAINA	(0-30)	3	LEFT SIDE (GREEN)
4	LABHEDA	(0-30)	4	RIGHT SIDE (GREEN)
5	SHEESHAM	(0-30)	4	RIGHT SIDE (GREEN)
6	NEEM	(0-30)	12	RIGHT SIDE (GREEN)
7	SAHORA	(0-30)	7	RIGHT SIDE (GREEN)
8	SHATOOT	(0-30)	1	RIGHT SIDE (GREEN)
9				
10				
		Total	33	

For SEUPPTCL

Section Officer

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी
विधुना रेन्ज



OK Tiwari

Joint Inspection Report

Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1)

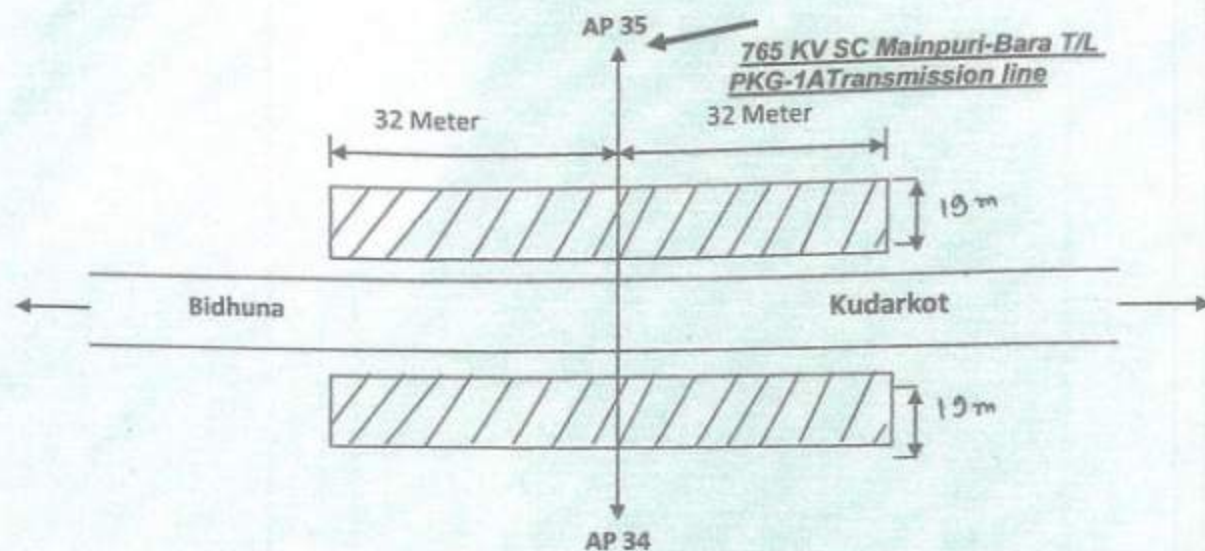
TRANSMISSION LINE

Forest Range: -Bidhuna

Crossing / Milestone: - Near Vill- (Chirkua)

District: -Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $2432 / 10000 = 0.2432$ Ha.

Total = 2432

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	CHILBIL	(0-30)	25	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
2	NEEM	(0-31)	04	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
3	SHEESHAM	(0-31)	03	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
4	BERI	(0-31)	17	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
5	KANJI	(0-31)	06	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
6	VILAYATI BABOOL	(0-31)	10	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
7	BERI	(0-31)	28	LEFT SIDE (GREEN) ✓
8	VILAYATI BABOOL	(0-31)	03	LEFT SIDE (GREEN) ✓
9	KANJI	(0-31)	104	LEFT SIDE (GREEN) ✓
10	NEEM	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
11	DHANK	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓

TOTAL = 212 ✓

For SEUPPTCL



Section Officer

(Signature)
97/115

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बिधुना रेंज

Joint Inspection Report

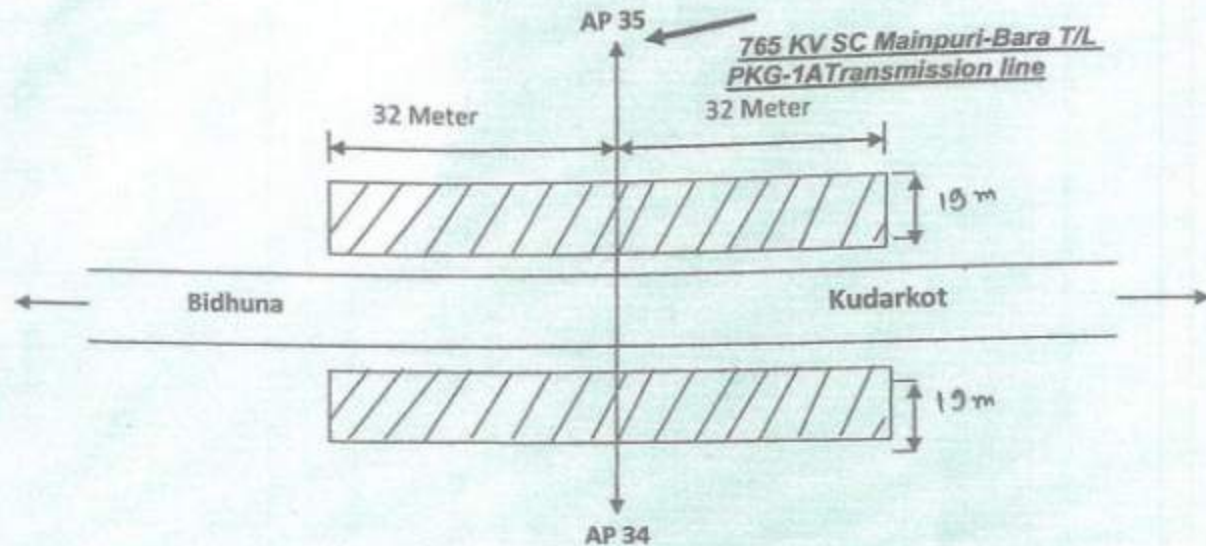
Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1)
TRANSMISSION LINE

Forest Range: -Bidhuna

Crossing / Milestone: - Near Vill- (Chirkua)

District: -Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $2432 / 10000 = 0.2432$ Ha.

Total = 2432

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	CHILBIL	(0-30)	25	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
2	NEEM	(0-31)	04	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
3	SHEESHAM	(0-31)	03	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
4	BERI	(0-31)	17	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
5	KANJI	(0-31)	06	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
6	VILAYATI BABOOL	(0-31)	10	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
7	BERI	(0-31)	28	LEFT SIDE (GREEN) ✓
8	VILAYATI BABOOL	(0-31)	03	LEFT SIDE (GREEN) ✓
9	KANJI	(0-31)	104	LEFT SIDE (GREEN) ✓
10	NEEM	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
11	DHANK	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓

TOTAL = 212

For SEUPPTCL



Section Officer

(Signature)
 97/11/5

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी
 बिधूना रेंज

Joint Inspection Report

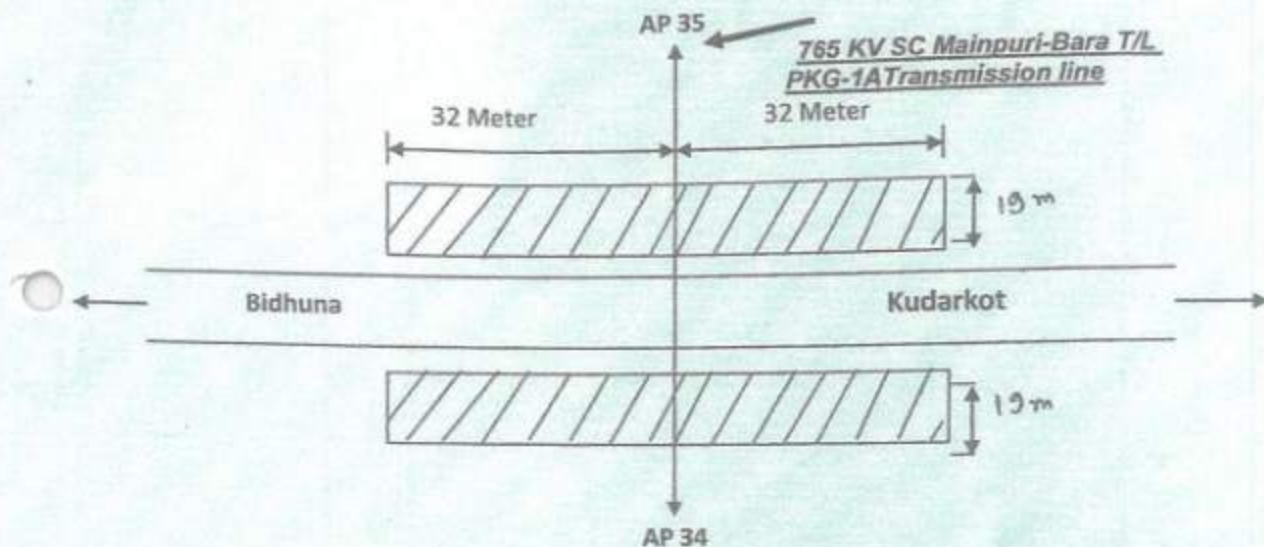
Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1)
TRANSMISSION LINE

Forest Range: -Bidhuna

Crossing / Milestone: - Near Vill- (Chirkua)

District: -Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $2432 / 10000 = 0.2432$ Ha.

Total = 2432

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	CHILBIL	(0-30)	25	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
2	NEEM	(0-31)	04	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
3	SHEESHAM	(0-31)	03	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
4	BERI	(0-31)	17	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
5	KANJI	(0-31)	06	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
6	VILAYATI BABOOL	(0-31)	10	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
7	BERI	(0-31)	28	LEFT SIDE (GREEN) ✓
8	VILAYATI BABOOL	(0-31)	03	LEFT SIDE (GREEN) ✓
9	KANJI	(0-31)	104	LEFT SIDE (GREEN) ✓
10	NEEM	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
11	DHANK	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
TOTAL = 212				

For SEUPPTCL

Section Officer

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी
विधुना रेंज



K. T. Inani

(Signature)
97/15

Joint Inspection Report

Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1)

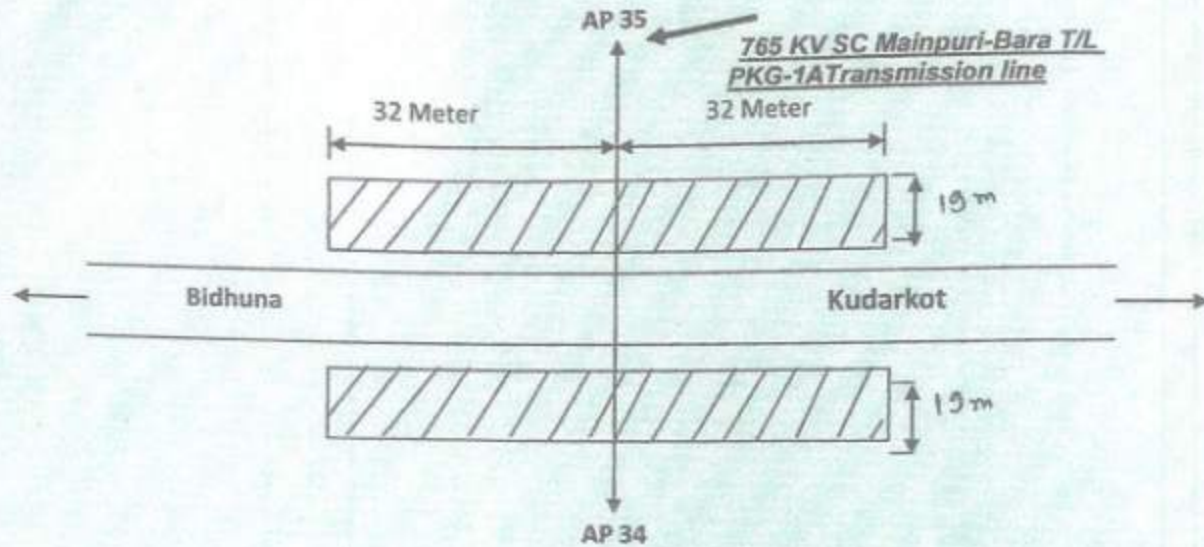
TRANSMISSION LINE

Forest Range: -Bidhuna

Crossing / Milestone: - Near Vill- (Chirkua)

District: -Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $2432 / 10000 = 0.2432$ Ha.

Total = 2432

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	CHILBIL	(0-30)	25	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
2	NEEM	(0-31)	04	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
3	SHEESHAM	(0-31)	03	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
4	BERI	(0-31)	17	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
5	KANJI	(0-31)	06	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
6	VILAYATI BABOOL	(0-31)	10	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
7	BERI	(0-31)	28	LEFT SIDE (GREEN) ✓
8	VILAYATI BABOOL	(0-31)	03	LEFT SIDE (GREEN) ✓
9	KANJI	(0-31)	104	LEFT SIDE (GREEN) ✓
10	NEEM	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
11	DHANK	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
TOTAL = 212				✓

For SELUPPTCL

Section Officer

Range Forest officer

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बिधुना रेंज



(Signature of Section Officer)

Joint Inspection Report

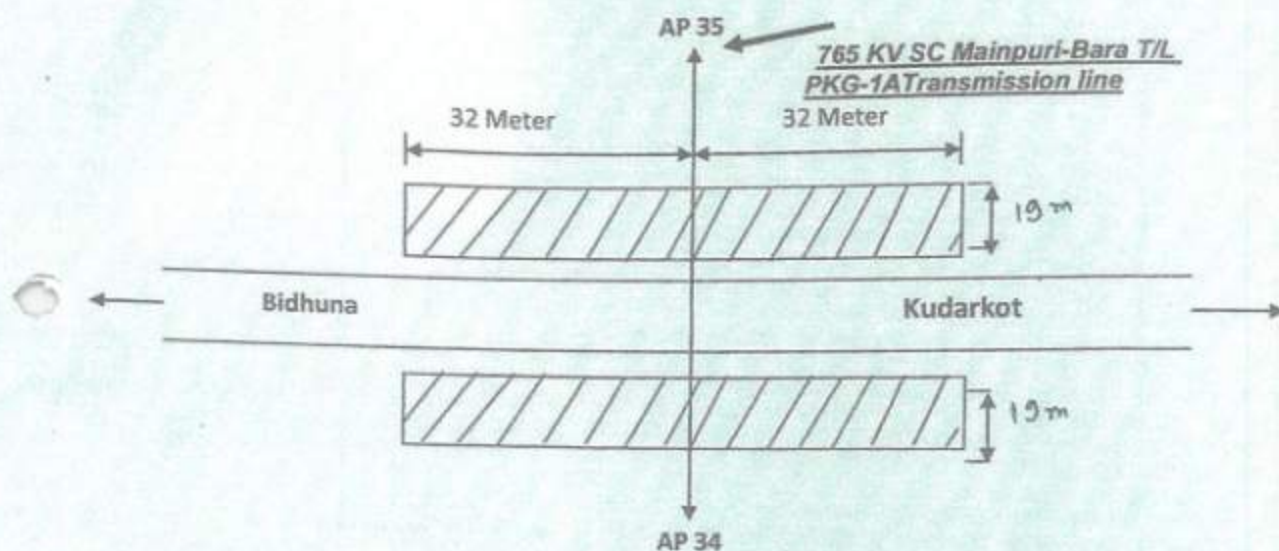
Crossing details of Roads / Railway line / Canal 765 k/v S/C Mainpuri-Bara (CKT - 1)
TRANSMISSION LINE

Forest Range: -Bidhuna

Crossing / Milestone: - Near Vill- (Chirkua)

District: -Auraiya

Date:- 18-10-2022



Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 19 = 1216$ Sq. Mtr. $2432 / 10000 = 0.2432$ Ha.

Total = 2432

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of tree	Diameter Range (Cm)	No. of Trees	Remarks
1	CHILBIL	(0-30)	25	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
2	NEEM	(0-31)	04	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
3	SHEESHAM	(0-31)	03	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
4	BERI	(0-31)	17	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
5	KANJI	(0-31)	06	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
6	VILAYATI BABOOL	(0-31)	10	RIGHT SIDE (GREEN) ✓
7	BERI	(0-31)	28	LEFT SIDE (GREEN) ✓
8	VILAYATI BABOOL	(0-31)	03	LEFT SIDE (GREEN) ✓
9	KANJI	(0-31)	104	LEFT SIDE (GREEN) ✓
10	NEEM	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
11	DHANK	(0-31)	06	LEFT SIDE (GREEN) ✓
TOTAL = 212				✓

For SEUPPTCL



Section Officer

(Signature)
 97/11/5

(Signature)
 Range Forest officer
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 बिधुना रेन्ज

सेवा में

प्रभारी वनाधिकारी

औरंगा नन प्रभाग औरंगा ।

विषय - जनपद औरंगा में प्रस्तावित 765 क्वी० सिंगल सर्किल मैनपुरी-वारा कारेखला लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु औरंगा में प्रस्तावित वन संरक्षित/अरक्षित वन पर अधिकार और वास्तविक प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपका पत्रांक 1234/141 दि० 6-10-2022

प्रत्येक, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में उपरोक्त मार्ग की जाँच श्री जयचंकर गुप्ता से० अप एवं साउथ ईस्ट डी० जे० फावर डा० कंप लि० के प्रति निधि श्री मनोज तिवारी के साथ संयुक्त सर्वे कराया गया। आरम्भ निम्न प्रकार है -

- 1- प्रस्तावित स्थल पर कोई भी संरक्षित स्मारक क्षेत्र नहीं है।
- 2- प्रस्तावित स्थल पर कोई भी दुर्लभ/संरक्षित विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध नहीं हैं।
- 3- प्रस्तावित स्थल पर कोई भी सुदृढ़ उद्यान/वन्य जीव विहार/रिजर्व वन एवं शिकार करीब नहीं है।
- 4- प्रस्तावित स्थल परमावरण संवेदनशील नहीं है।
- 5- वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

संयुक्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि विष्णुना-कुदरमोट मार्ग दोनों पट्टी संरक्षित वन क्षेत्र में है जिसमें प्रस्तावित स्थलों का विवेक संग्रह कर प्रेषित है।

संगत - संयुक्त निधि कक्षा रिपोर्ट

- ① विष्णुना-रतनगंज मार्ग
- ② विष्णुना-कुदरमोट मार्ग
- ③ रामगढ़-विष्णुना मार्ग

अवधीप
[Signature]

राज्य वनाधिकारी
विधुना रेंज

श्री रामचन्द्र वरद
डा० जे० फावर

प्रदर्शन

सेवाएं

प्रभावित वनाधिकारी
ऑरेंजा वनप्रभाग, ऑरेंजा

विषय - जनपद ऑरेंजा में अवस्थित 765 हेक्टा की हिंगल सर्किट में नपुरी-वाए पारंपरिक लाइन
-1 के निर्माण कार्य हेतु ऑरेंजा में प्रभावित हो रही संरक्षित/आवृत वनभूमि पर गैरवर्त
प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका कार्यालय पताक- 2472/14-1 दिनांक 17/03/2021

भवेदय

अपेक्षित सन्दर्भित विषयक पत्र के अनुपालन में अधोस्तरकारी द्वारा सम्बन्धित लेन्शन अधिकारी

श्री अजयभूषण सिंह वनविड व साउथ ईस्ट ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन के प्रतिनिधि श्री अमितभक्त वनज
मोफतिलाली के साथ संयुक्त जांच का कार्य किया। संयुक्त जांच की विस्तृत आलाचिन्तन प्रकार है।

1. प्रभावित स्थल पर कोई भी संरक्षित स्मारक केन्द्रित नहीं है।
2. प्रभावित स्थल पर कोई भी दुर्लभ/संकरापन्न/विशिष्ट उजाति उपलब्ध नहीं है।
3. प्रभावित स्थल पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वनजीव अभयारण्य/रिजर्व का क्षेत्र कार्य नहीं है।
4. प्रभावित स्थल पर पशुपति संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।
5. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

संयुक्त जांच पत्र में पाया गया कि बेला-दिवियापुर मार्ग डि.मी. 279 से 280 के क्षेत्र पर
संरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। जिसमें प्रभावित क्षेत्र का विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	स्थल/नाम	उजाति	गैलरी (कि.मी.)	स्थिति	व्यास वर्ग	दशा
01-	बेला-दिवियापुर मार्ग	शीशम	230 C.M.	U	7-8	हराकट
02-	कि.मी. 279-280 तक	शीशम	174 "	U	5-6	"
03-	कौंसीपटरी	शीशम	90 "	U	2-3	"
04-		नीम	60 "	U	1-2	"
05-		कंजी	70 "	U	2-3	"
06-		केर	110 "	U	3-4	"
07-		कंजी	40 "	U	1-2	"
08-		कंजी	20 "	U	1-2	"

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1st Floor, Office No. 117-B
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

SEUPPTCL/2021-22/ 309

Date: 21/12/2021

To,

Nodal Officer & Conservator of Forest
Forest Utility Circle – Aranya Bhavan
Lucknow

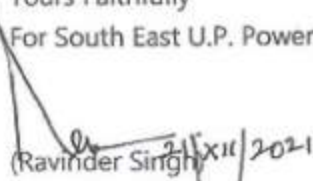
Subject: Authorization of MR. SANJAI KUMAR SINGH regarding submission of Forest Proposals.

Dear Sir,

This is to inform you that, MR. SANJAI KUMAR SINGH (S. K. SINGH) is working with our organization as a GENERAL MANAGER and he is responsible to execute all kind of forest related work for the transmission lines under the jurisdiction of SEUPPTCL. We hereby authorize him for all kind of work related to your good office like submission of forest proposals, correspondence, coordination etc. His signature is attested below.

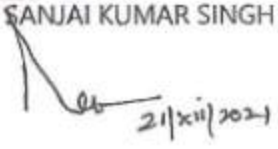
Your kind cooperation in this regard is requested.

Thanking You,
Yours Faithfully
For South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.


(Ravinder Singh)
Chief General Manager


Signature of Mr. SANJAI KUMAR SINGH

Attested


(Ravinder Singh)
Chief General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

न्यूनतम वनभूमि प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में क्षेत्रफल 0.3456 हेक्टेयर में निर्माण कार्य में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों एवं संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, और मांगी गयी संरक्षित वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

Net Present Value (N.P.V.) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली संरक्षित वन भूमि, 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि है, जो वन विभाग की अपनी जमीन है, की यदि आवश्यकता हुई तो Net Present Value (N.P.V) की धनराशि अदा करने हेतु वचनबद्ध है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड.





SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

वन विभाग से भिन्न स्वामित्व वाले विभाग से सम्बन्धित स्वामित्व प्रमाण पत्र के संबंध में याचक विभाग का शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 kV एकल पथ मैनपुरी-बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में विद्युत लाइन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत केवल आकाश मार्ग से विद्युत के तार गुजरेंगे एवं भूमि जैसे नहर, रोड आदि क्रासिंग पर उनके स्वामित्व वाली भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। चूंकि भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है अतः स्वामित्व वाले विभागों से अनापत्ति पत्र की मांग की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रतिहस्ताक्षरित
अरिया वन विभाग अरिया

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्लू/मैनपुरी- बारा/ट्रैक कासिंग/896
दिनांक: 2/02/16

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

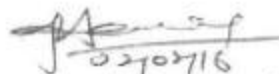
प्रबन्धक निदेशक,
उ.प्र.पा.ट्रांस.लिमि.,
शक्ति भवन, शालीमार टाइटानियम, 601-602,
छठा तल प्लॉट नं. टी.सी./8 जी०-1/1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय- Proposal of 765 KV S/C Mainpuri ETW OHE Transmission line to
Rly. Track between MNQ-ETW Section .

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SEUPPTCL/DRM/2014-15/896 dt.31.5.14.

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान नं० 356/2014 के अनुसार ADEN/ETW के देखरेख कार्य सम्पन्न कराना होगा। रिकार्ड हेतु प्लान एवं एग्रीमेंट संलग्न है।

संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./इटावा को प्लान सं. 356/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को प्लान के अनुसार सम्पन्न करायें। (संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)

2) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

3) वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी० /टी०आर०डी०/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद


(S. K. Singh)
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्लू/मैनपुरी- बारा/ट्रैक कासिंग/896
दिनांक: 2/02/16

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

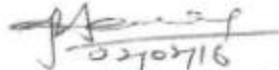
प्रबन्धक निदेशक,
उ.प्र.पा.ट्रांस.लिमि.,
शक्ति भवन,, शालीमार टाइटानियम, 601-802,
छठा तल प्लॉट नं. टी.सी./8 जी०-1/1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय- Proposal of 765 KV S/C Mainpuri ETW OHE Transmission line to
Rly. Track between MNQ-ETW Section .

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SEUPPTCL/DRM/2014-15/896 dt.31.5.14.

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान नं० 356/2014 के अनुसार ADEN/ETW के देखरेख कार्य सम्पन्न कराना होगा। रिकार्ड हेतु प्लान एवं एग्रीमेंट संलग्न है।

संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./इटावा को प्लान सं. 356/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को प्लान के अनुसार सम्पन्न करायें। (संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)

2) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

3) वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी० /टी०आर०डी०/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।


(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्लू/मैनपुरी- बारा/ट्रैक कासिंग/896
दिनांक: 2/02/16

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

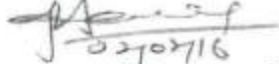
प्रबन्धक निदेशक,
उ.प्र.पा.ट्रांस.लिमि.,
शक्ति भवन,, शालीमार टाइटानियम, 601-802,
छठा तल प्लॉट नं. टी.सी./8 जी०-1/1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय- Proposal of 765 KV S/C Mainpuri ETW OHE Transmission line to
Rly. Track between MNQ-ETW Section .

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SEUPPTCL/DRM/2014-15/896 dt.31.5.14.

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान
नं० 356/2014 के अनुसार ADEN/ETW के देखरेख कार्य सम्पन्न कराना होगा। रिकार्ड हेतु प्लान एवं एग्रीमेंट
संलग्न है।

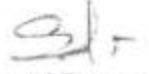
संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./इटावा को प्लान सं. 356/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी
रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को
प्लान के अनुसार सम्पन्न करायें। (संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)

2) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु
प्रेषित है।

3) वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी० /टी०आर०डी०/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014
सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद


(S. K. Singh)
General Manager

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्लू/मैनपुरी- बारा/ट्रैक कासिंग/896
दिनांक: 2/02/16

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

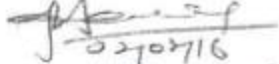
प्रबन्धक निदेशक,
उ.प्र.पा.ट्रांस.लिमि.,
शक्ति भवन,, शालीमार टाइटानियम, 601-602,
छठा तल प्लॉट नं. टी.सी./8 जी०-1/1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय- Proposal of 765 KV S/C Mainpuri ETW OHE Transmission line to
Rly. Track between MNQ-ETW Section .

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SEUPPTCL/DRM/2014-15/896 dt.31.5.14.

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान नं० 356/2014 के अनुसार ADEN/ETW के देखरेख कार्य सम्पन्न कराना होगा। रिकार्ड हेतु प्लान एवं एग्रीमेंट संलग्न है।

संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./इटावा को प्लान सं. 356/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को प्लान के अनुसार सम्पन्न कराये। (संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)

2) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

3) वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी० /टी०आर०डी०/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद


(S. K. Singh)
General Manager

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्लू/मैनपुरी- बारा/ट्रैक कासिंग/896
दिनांक: 2/02/16

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

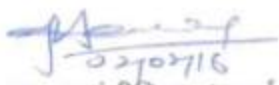
प्रबन्धक निदेशक,
उ.प्र.पा.ट्रांस.लिमि.,
शक्ति भवन,, शालीमार टाइटानियम, 601-602,
छठा तल प्लॉट नं. टी.सी./8 जी०-1/1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय- Proposal of 765 KV S/C Mainpuri ETW OHE Transmission line to
Rly. Track between MNQ-ETW Section .

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SEUPPTCL/DRM/2014-15/896 dt.31.5.14.

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान नं० 356/2014 के अनुसार ADEN/ETW के देखरेख कार्य सम्पन्न कराना होगा। रिकार्ड हेतु प्लान एवं एग्रीमेंट संलग्न है।

संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./इटावा को प्लान सं. 356/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को प्लान के अनुसार सम्पन्न करायें। (संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)

2) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

3) वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी० /टी०आर०डी०/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद


(S. H. Singh)
General Manager
South East U.P. Power Transmission Div.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, इटावा

पत्रांक-1275/5010
सेवा में,

दिनांक- 08/12/05

अधीक्षण अभियन्ता
रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा0मा0सं0-92 (नया रा0मा0सं0-234) के कि0मी0 26 (चैनेज-25.017) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.63मी0 रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

प्राप्ति एवं प्रेषण लिपिक
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा
दिनांक-

- सहायक अभियन्ता द्वितीय रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा

(S. K. Singh)
General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

(63)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक-1278/5^{वीं}

दिनांक-08/12/15

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-I Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP34-35 at ch. 102.771 of NH-91A (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-91ए (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 103 (चैनेज-102.771) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 22.22मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्र प्राप्त एवं प्रेषण लिपिक
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक- 7/12/15

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

(S. C. Singh)
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, इटावा

पत्रांक-1275/5 जी०
सेवा में,

दिनांक- 08/12/15

अधीक्षण अभियन्ता
रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा0मा0सं0-92 (नया रा0मा0सं0-234) के कि0मी0 26 (चैनेज-25.017) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.63मी0 रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

प्राप्ति एवं प्रेषण लिपिक
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा

दिनांक-

सहायक अभियन्ता द्वितीय रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अवर अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

(65)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक-1278/5^{वीं}
सेवा में,

दिनांक-08/12/15

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-I Quad T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP34-35 at ch. 102.771 of NH-91A (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-91ए (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 103 (चैनेज-102.771) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 22.22मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. गतिष्क में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्र प्राप्त एवं प्रेषण लिपिक
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-7/12/15

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, इटावा

पत्रांक-1275/5 जी०
सेवा में,

दिनांक- 08/12/05

अधीक्षण अभियन्ता
रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Guard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा0मा0सं0-92 (नया रा0मा0सं0-234) के कि0मी0 26 (चैनेज-25.017) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.63मी0 रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

प्राप्ति एवं प्रेषण लिपिक
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0

इटावा

दिनांक-

सहायक अभियन्ता द्वितीय रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अवर अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा

(67)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक-1238/5^{वीं}

दिनांक-08/11/15

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता

रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०

कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-I Quad T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP34-35 at ch. 102.771 of NH-91A (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-91ए (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 103 (चैनेज-102.771) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 22.22मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्र प्राप्त एवं प्रेषण लिपिक
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक- 7/12/15

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

(S. K. Singh)
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, इटावा

पत्रांक-1275/5010
सेवा में,

दिनांक- 08/12/05

अधीक्षण अभियन्ता
रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर।

विषय—NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Quad T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा0मा0सं0-92 (नया रा0मा0सं0-234) के कि0मी0 26 (चैनेज-25.017) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.63मी0 रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

प्राप्ति एवं प्रेषण लिपिक
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा
दिनांक-

सहायक अभियन्ता द्वितीय रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अवर अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा

(69)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक-1278/5^{वीं}
सेवा में,

दिनांक-08/12/15

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-I Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP34-35 at ch. 102.771 of NH-91A (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-91ए (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 103 (चैनेज-102.771) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 22.22मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्र प्राप्त एवं प्रेषण लिपिक
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(S. K. Singh)
General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

70

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा**

पत्रांक-1275/5 जी०
सेवा में,

दिनांक- ०६/१२/१५

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय—NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Quad T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-९२ (नया रा०मा०सं०-२३४) के कि०मी० २६ (चैनेज-२५.०१७) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस २३.६३मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०

इटावा

दिनांक—

सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

(S. K. Singh)
General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.



71

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

लाभान्वित होने वाली आबादी से सम्बंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माणोपरांत परिक्षेत्र के मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर कौशाम्बी एवं इलाहाबाद (प्रयागराज) जनपद के आबादी को काफी बड़ी संख्या में विद्युत का लाभ होगा एवं इसके अतिरिक्त समीपवर्ती जिलों की आबादी को विद्युत का लाभ काफी बड़ी संख्या में होगा।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन



साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणित किया जाता है
प्रतिहस्ताक्षरित
अरिया बन प्रमाण-अरिया



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

पारेषण लाइन के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन सीमा के अन्तर्गत 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी-बारा (CKT - १)
ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रतिहस्ताक्षरित
अरिया वन विभाग - अरिया

उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 7314/14-03-1980/82 वन अनुभाग-3, दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें -

१. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
२. प्रश्रुगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
३. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
४. भूमि का सयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। (जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है)।
५. हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुवावजे का भुगतान सम्बन्धित विभाग को करना होगा।
६. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
७. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
८. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा। परन्तु प्रतिबंध यह होगा की वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जंतुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी। (लागू नहीं क्योंकि वन्य जंतु व बहुमूल्य वन सम्पदा का हस्तांतरण नहीं होना है)।
९. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
१०. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगी।
११. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर अलाइमेंट तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या ६०८/सी/ दिनांक १०-०२-८२ में निहित आदेशों का पालन भी " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नयी सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।



(S. K. Singh)
General Manager

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया

१२. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

१३. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरप्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

१४. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय, जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, का भुगतान विभाग को करना होगा। १००० मीटर एवं ३० से अधिक टाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक के स्तर पर ही हो सकेगा।

१५. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइनें ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उपवन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी, जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

१६. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।

१७. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें दर्शायी जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

१८. वन भूमि वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर आश्वासन प्राप्त हो जाय।

मैं संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक साऊथ ईस्ट यू० पी० पी० टी० सी० एल० प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।


(S. K. Singh)

General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर प्रदेश वन विभाग-औरंगाबाद

MUD DISPOSAL PRAPOSAL

संलग्नक - 2

76

In reference to below mentioned figure, the process of mud disposal is explained in 4 steps, for transmission line towers, its required to excavate 4 pits of similar area and depth. After completion of Casting of all four pits we use 4 steps to complete backfilling process in which excavated mud should be consumed back in pits.

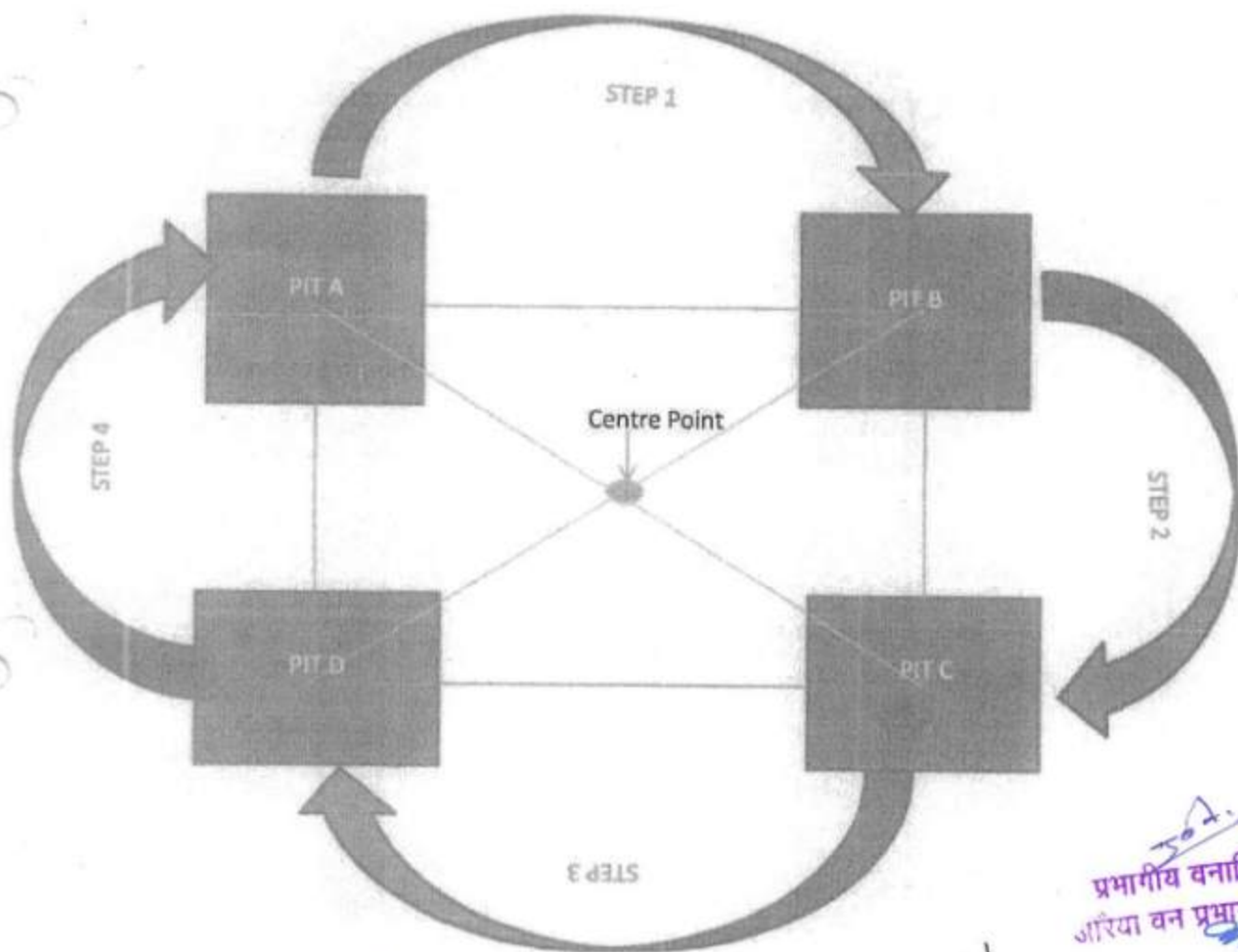
Step 1 : _Excavated mud of PIT A will be consumed in PIT B.

Step 2 : Excavated mud of PIT B will be consumed in PIT C.

Step 3 : Excavated mud of PIT C will be consumed in PIT D.

Step 4 : Excavated mud of PIT D will be consumed in PIT A.

After this process if there is any remaining mud, it would be leveled around the all four pits



(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

(गारु एन सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
आरिया वन प्रभाग-औरैया

Justification of Selected Route of the Transmission Lines

Out of many alternative routes, most suitable and techno-economically route has been selected considering the following parameters;

- 1.0 The selected route is so close in proximity of the bee- line as far as practicable.
- 2.0 Minimum loss of forest, endangered flora and fauna, rich orchard, nurseries etc.
- 3.0 Optimal no. of angle points by avoiding multiple crossings of the same transmission line, minimum no. of railway / power line / river / road / canal crossings.
- 4.0 Avoidance of waterlogged / marshy land, area with collapsible soil strata, densely populated areas, air funneling pathway of Defense Aerodrome / civil airport, religious monuments, heritage sites and other sensitive areas.
- 5.0 The distance between consecutive angle points is so kept in order to optimize no. of intermediate suspension towers.
- 6.0 All the River crossings have been carefully selected considering stability of soil strata at individual tower pile foundation location and after exploring possibility of crossing the river using DD type tower / with extra high extension +18/+25.
- 7.0 Accessibility of the transmission line towers along the route for maintenance point of view.



List of transmission lines tabulated below for reference.

1. 765kv SC Mainpuri - Unnao Transmission Line	192 km	
2. 400kv DC Mainpuri - Aligarh Transmission Line	93 km	
3. LILO of both circuits of 400kv DC Orai - Mainpuri (PG) at Mainpuri Transmission Line	43.3 km	
4. 765kv S/C Mainpuri - Bara Transmission Line	362 km	
5. 765kv S/C Mainpuri - Bara Transmission Line	362 km	
6. LILO of 400kv Panki - Obra at 400kv Rewa Road Transmission Line	0.8 km	
7. 400kv DC Rewa Road - Karchhana Transmission Line	29.2 km	
8. 400kv DC Rewa Road - Meja Transmission Line	33.5 km	
9. 400kv DC Bara - Meja Transmission Line	29.2 km	
10. 400kv DC Bara - Karchhana Transmission Line	39.5 km	
11. 400kv DC Tanda - Gonda Transmission Line	95 km	
12. 400kv DC Gonda - Shahjahanpur Transmission Line	220 km	
13. LILO of 400kv Sarojininagar - Kursi Road at 400kv Sultanpur Road, Lucknow Transmission Line	6.5 km	
14. LILO of 400kv Obra - Sultanpur at 400kv Aurai Transmission Line	1.2 km	



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, 765 kV एकल पथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.3456 हे० सरंक्षित भूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा लगाई गई ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध है।



(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणीय वनाधिकारी
प्रतिहस्ताक्षरित
आरिया वन प्रभाग-आरिया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

(Proposal No. - FP/UP/TRANS/15538/2015)

प्रभावित वन भूमि से 10 कि० मी० की परिधि में कोई सेंचुरी / वन जीव विहार नहीं है सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 ट्रान्समिशन लाइन क्षेत्र में 10 कि० मी० की परिधि में कोई सेंचुरी, वन विहार, सरकारी फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी, कॉरिडोर आदि नहीं है।



(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रतिहस्ताक्षरित
औरिया वन प्रभाग औरिया

Details of non forest area - 765 kv S/C Mainpuri - Bara Ckt-1 (Village Wise)

(81)

Sl.No.	Division Name	Name of Village	Width (m)	Length (m)	Forest Area (Ha)	Non Forest Area in the Villages (Ha)	Total Non Forest Land (Ha)
1	Prayagraj	NIBI	64	3430	14.4106	7.5414	274.7584
		Kapari	64	1800	0.4288	11.0912	
Sub Total					14.8394	18.6326	
2	Fatehpur	GOURI	64	2300	0.1344	14.5856	823.1399
		Darikhurd	64	2150	0.1344	13.6256	
		Rasulpur	64	1900	0.1344	12.0256	
		Gandharhati	64	2850	0.1344	18.1056	
		Saraihawakahwa	64	2400	0.1344	15.2256	
		Meona	64	2050	0.1344	12.9856	
		Korba	64	2600	0.1344	16.5056	
		SAH	64	2800	0.1344	17.7280	
		BESANDI	64	2950	0.1344	18.7584	
		Sarauli	64	1310	0.1344	8.1920	
		Sarauli North	64	2500	0.1344	15.8656	
		Loharpur	64	2750	0.1344	17.4656	
		Lihai	64	2100	0.1344	13.3056	
		Belwan Khurd	64	1997	0.1344	12.6464	
		Mahoba	64	2175	0.1344	13.7856	
		Imiliya	64	2496	0.1344	15.8400	
Sub Total					2.1504	236.6464	
3	Kanpur Nagar	Jhinghak	64	2130	0.2304	144.9984	180.3456
		Karchulpur	64	2670	0.1152	35.3472	
Sub Total					0.3456	180.3456	
4	Kanpur Dehat	Dahoba	64	2217	0.2144	13.9584	421.4272
		Nareha	64	1874	0.2144	11.7792	
		Bara	64	2934	0.128	18.5632	
		Sambhua	64	1850	0.2496	11.7120	
Sub Total					0.8064	56.0128	
5	Auraiya	Bhulahr	64	2180	0.1024	13.7024	409.2736
5	Auraiya	Chirkua	64	2450	0.2432	15.4304	
Sub Total					0.3456	29.1328	
6	Mainpuri	Kharra	64	2315	0.2560	14.7136	299.4240
		Badhanpur	64	2270	0.1280	14.2720	
		Badhanpur kerta	64	1934	0.5248	12.2496	
		Ramnagar	64	2230	0.2497	13.7472	
		Singhpura	64	3110	0.1280	19.6543	
		Kishani	64	6140	0.1280	39.0463	
Sub Total					1.4145	113.6829	
Grand Total					19.9019	2458.368	



प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 1400/11-सी- FP/UP/Trans/15538/2015, लखनऊ: दिनांक: जनवरी 13, 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनधिकारी/निदेशक,
कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, औरैया,
मैनपुरी, फतेहपुर।

विषय:- 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाईन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, औरैया, मैनपुरी एवं फतेहपुर वन प्रभागों में कुल 19.474 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- महाप्रबन्धक, एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०, गोमतीनगर लखनऊ का पत्रांक- एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०/एफ०पी०सी०एल०-01/501, दिनांक 11.01.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में विभिन्न वन प्रभागों में ऑन-लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

कानपुर नगर वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु उस पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक वनभूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
2. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
3. गजट नोटिफिकेशन की विनियमित व प्रमाणित प्रति संलग्न है, किन्तु पठनीय नहीं है।
4. प्रस्तावित लाइन के नीचे बीने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
5. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
6. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोशीट, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

कानपुर देहात वन प्रभाग:-

1. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संलग्न सूची में वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं किया गया है। वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई है, इसे मूल में संलग्न करें।
2. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
5. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है, जबकि प्रभागीय निदेशक द्वारा विनियमित व प्रमाणित नहीं की गई है।
6. प्रस्तावित लाइन के नीचे बीने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
8. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोशीट, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

इलाहाबाद वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु उस पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक वनभूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
2. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है, किन्तु उसका सारांश व वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है।
3. दिनांक 13.01.2017 को दूरभाग पर हुई वार्तानुसार प्रस्तावित परियोजना में कुल प्रभावित वनभूमि के दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन Cost escalation को समाहित करते हुये संशोधित कर संलग्न करें एवं ऑनलाइन अपलोड करें।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

13/01/17

Geo Referenced Map, KML file CD

7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप की सत्यापित व चिन्हित रंगीन टोपोग्रीफ संलग्न करें।
8. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
9. एन.पी.वी. में बढ़ोतरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
10. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
11. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्तावित प्रस्ताव में सम्मिलित न होने सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
12. संरक्षित वनभूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जबकि चिन्हित नहीं की गई है तथा आरक्षित वनभूमि का प्रभागीय निदेशक द्वारा चिन्हित व प्रमाणित गजट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं है।
13. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
14. ऑनलाइन पार्ट-2 में ईको क्लास-4 अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः ईको क्लास-3 अपलोड करें।
15. प्रस्तावित पारिषण लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु उस पर क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न करें।
16. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
17. ऑनलाइन पार्ट-2 कमांक-5, working plan prescription for the forest land में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।

औरैया वन प्रभाग:-

1. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. एन.पी.वी. में बढ़ोतरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र में क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः संशोधित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन पार्ट-2 में भी अपलोड करें।
5. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
6. प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
7. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवन्त वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोग्रीफ, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

मैनपुरी वन प्रभाग:-

1. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. एन.पी.वी. में बढ़ोतरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
4. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है, जबकि प्रभागीय निदेशक द्वारा चिन्हित व प्रमाणित नहीं की गई है।
5. प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
6. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
7. ऑनलाइन पार्ट-2 में District wise area to be diverted त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है।
8. ऑनलाइन पार्ट-2 कमांक-5, working plan prescription for the forest land में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।
9. ऑनलाइन पार्ट-2 कमांक-6 में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।
10. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवन्त वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोग्रीफ, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

फतेहपुर वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु उस पर यह

3. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. एन.पी.वी. में बढ़ोतरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गई है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
6. ऑनलाइन पार्ट-2 में ईको क्लास-1 अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः ईको क्लास-3 अपलोड करें।
7. प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बीने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु गणना वर्तमान दर से नहीं है। अतः प्रस्तावित लाइन के नीचे बीने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुसंधान का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न करें।
8. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
9. ऑनलाइन पार्ट-2 कमांक-5, working plan prescription for the forest land में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।
10. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोगीट, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर :-

1. कानपुर नगर, फतेहपुर एवं इलाहाबाद वन प्रभाग का प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप के रंगीन मानचित्र में लीजेंड, शीर्षक एवं तीन वैकल्पिक संरेखण स्पष्ट नहीं है, संशोधित कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न करें।
2. वन विभाग, उ०प्र० शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गई मानक शर्तों के मान्य होने के प्रमाण-पत्र पर 16 मानक शर्तों का ही उल्लेख किया गया है, जो अपूर्ण है। सभी 18 मानक शर्तों अंकित कर संलग्न करें।
3. ऑनलाइन पार्ट-1 में सभी वन प्रभागों का कुल क्षेत्रफल 19,3594 हे० अपलोड किया गया है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 के कमांक A-1(VIII) कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 19,474 अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल अपलोड करें।
4. ऑनलाइन पार्ट-1 के कमांक A-1(IX), B-2.1, B-2.2, B-2.3, B-2.4 में नान फारेस्ट लैंड शून्य अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।
5. ऑनलाइन पार्ट-1 में अथारिटी लेटर अपलोड नहीं किया गया है।
6. ऑनलाइन पार्ट-1 में Village wise breakup एवं Component wise breakup त्रुटिपूर्ण है।
7. ऑनलाइन पार्ट-1 में Employment likely to be generated- No अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।
8. मैनपुरी वन प्रभाग की प्रस्तावित वनभूमि का पॉथ Geo referenced Map अपलोड किया गया है जबकि KML file छः अपलोड की गई है, स्थिति स्पष्ट करें।
9. ऑनलाइन पार्ट-1 में प्रस्तावित वनभूमि की तीन वैकल्पिक संरेखण की 1:50000 माप की टोपोगीट अपलोड नहीं की गई है।
10. ऑनलाइन पार्ट-1 वनभूमि की गणना अपलोड नहीं की गई है।
11. ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo referenced Map में सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1480 / 11-सी- FPA/UP/Trans/15538/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, वाराणसी, मैनपुरी एवं फतेहपुर।
4. महाप्रबन्धक, एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)

85

TRANSMISSION LICENSE, 2013 UNDER ELECTRICITY ACT- 2003
TO
SOUTH EAST U P POWER TRANSMISSION COMPANY LTD. (SEUPPTCL)
(License no.1 of 2013)

1. The Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "the Commission"), in exercise of the powers under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Act"), hereby confers this license upon SOUTH EAST U P Power Transmission Company Ltd. (hereinafter referred to as 'SEUPPTCL' or 'the licensee'), a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Shalimar Titanium, 801 - 602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 to undertake the business of build, own, operate, maintain and transfer (Boott) basis of the transmission system given at Annexure-1.
2. This License may be called "The SOUTH EAST U P Power Transmission Company Ltd. (SEUPPTCL) Transmission License, 2013 (License no.1 of 2013)".
3. (a) The transmission license shall, unless revoked earlier, remain in force for a period of 25 years; with effect from date of issue of this license.
(b) If the useful life of the transmission system extends beyond this license period of 25 years, SEUPPTCL may make an application two years prior to expiry of the initial period of license for grant of license for a further period of 10 years, which shall be considered by the Commission in accordance with the then prevailing laws;
4. SEUPPTCL shall remain bound by the provisions of the Act, the rules and regulations framed there under, in particular the transmission license regulations, Indian Electricity Grid Code, UP Electricity Grid Code, the Standards specified by the Central Electricity Authority and the orders & directions of the Commission issued from time to time.
5. SEUPPTCL, as Transmission Licensee, shall carry out the responsibilities conferred upon it, in particular but not limited to, under UP Electricity Grid Code, UPERC (Terms & Conditions for Open Access) Regulations, 2004, UPERC (Grant of connectivity to Intra State Transmission System) Regulations, 2010 including their amendments and modifications as and when carried out. SEUPPTCL shall provide non-discriminatory open access to its transmission system for use by any other licensee, including a distribution licensee or an electricity trader, or generating company or any other person in accordance with the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Open Access in intra- State Transmission) Regulations, as amended from time to time.
6. The licensee shall comply with the directions of the Regional Load Dispatch Centre under sub-section (3) of section 28 or subsection (1) of section 29 of the Act and the directions of the State Load Dispatch Centre under sub-section (2) of section 32 or subsection (1) of section 33 of the Act, as may be issued from time to time for maintaining the availability of the transmission system;




(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Regulatory Commission

7. The Transmission Service Agreement (TSA) entered into between the licensee and long term transmission customers shall be honored by the parties involved in the TSA.
8. The applicant shall not enter into contract or otherwise engage in the business of trading in electricity during the period of subsistence of the transmission license;
9. The applicant shall not undertake any other business for optimum utilization of the transmission system without prior intimation to the Commission.
10. Unless otherwise specified by the Commission, the licensee shall pay an annual license fee in accordance with UPERC(Fee & Fine) Regulations, 2010 and amendments / re-enactments made thereof. The license fee for a part of the year shall be paid on pro-rata basis. The year for the purpose of this clause shall mean a financial year i.e. a period of twelve months from 1st April of a year to 31st March of the following year.
11. The licensee may lay down or place electric supply lines and other installations subject to provisions of section 67 to 69 and 159 to 161 of the Electricity Act, 2003.
12. The licensee shall ensure adherence with the requirement laid down under section 164 of Electricity Act, 2003.
13. The license may be revoked subject to section 19 of Electricity Act, 2003 at any time during its period of operation as specified in Electricity Act, 2003.

Dated: 29 April, 2013

Place: Lucknow

Arun Kumar Srivastava
Secretary 29/4/13



(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Regulatory Commission
Lucknow

Annexure-1

Transmission Project Elements

765 kV S/C Transmission Lines (Kms) (approx.)	
(i)	765 kV SC Mainpuri-Bara with Quad Bersimis – 362 Kms;
(ii)	765 kV SC Mainpuri-Bara with Quad Bersimis – 362 Kms;
(iii)	765 kV SC Mainpuri-Unnao with Quad Bersimis – 192 Kms;
400 kV D/C (Quad Moose) Transmission Lines (Kms) (approx.)	
(iv)	400 kV DC (Quad Moose) Mainpuri(765kV)-Aligarh – 93 Kms;
(v)	400 kV DC (Quad Moose) Gonda-Shahjahanpur – 220 Kms;
(vi)	400 kV DC (Quad Moose) Tanda-Gonda – 95 Kms;
(vii)	400 kV DC (Quad Moose) Rewa Road-Karchhana – 29.2 Kms;
(viii)	400 kV DC (Quad Moose) Rewa Road-Meja – 33.5 Kms;
(ix)	400 kV DC (Quad Moose) Bara-Meja – 29.2 Kms;
(x)	400 kV DC (Quad Moose) Bara- Karchhna – 39.5 Kms;
400 kV D/C (Twin Moose) LILO Transmission Lines (Kms) (approx.)	
(xi)	(a) LILO of both circuits of 400 kV DC Orai-Mainpuri (PG) at Mainpuri (765kV) with Twin Moose – 43.3 Kms;
	(b) LILO of 400 kV Sarojinagar-Kursi Road (PG) at 400 kV Sultanpur Road with Twin Moose – 6.5 Kms;
	(c) LILO of 400 kV Panki-Obra at 400 kV Rewa Road with Twin Moose – 0.8 Kms;
	(d) LILO of 400 kV Obra-Sultanpur at 400 kV Aurai with Twin Moose – 1.2 Kms.
EHV Substation Bays	
(i)	765/400 kV Mainpuri (AIS) – 2X1000 MVA, 765/400 kV;
(ii)	400/220 kV Rewa Road (GIS) – 2X315 MVA, 400/220 kV;
(iii)	400/220/132 kV Gonda (AIS) – 2X315 MVA, 400/220 kV, 2X100 MVA, 220/132 kV;
(iv)	400/220/132 kV Sultanpur Road, Lucknow (GIS) – 2X500 MVA, 400/220 kV, 2X160 MVA, 220/132 kV;
(v)	400/220/132 kV Aurai (AIS) – 2X315 MVA, 400/220 kV, 2X160 MVA, 220/132 kV.



29/4/13

(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Regulatory Commission
Lucknow

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2012

विषय- पी0पी0पी0 ट्रांसमिशन पैकेज-1 के लिए ऊर्जा अधिनियम, 2003 की धारा-68 के अधीन अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 270/ई0एस0डी0-वि0-765 के0वी0/पी0पी0पी0/4/आइसोलक्स/वाल-1, दिनांक 27 फरवरी, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 765 के0वी0 एकलपथ मैनपुरी बारा लाइन सहित 765 के0वी/400 के0वी उपकेन्द्र मैनपुरी तथा उससे संबंधित स्कीम्स/कार्यों (पी0पी0पी0 पैकेज-1), जिनका विवरण निम्नलिखित है, को सम्पादित करने के लिए मेसर्स साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-68 की उपधारा-1 के अधीन अधिकृत किया जाता है:-

Package-1: Transmission System for 765kV S/C Mainpuri-Bara Line with 765kV/ 400kV AIS at Mainpuri and Associated Schemes/ Work

Sr. No

(I) Transmission Lines:

- 1) 765kV SC Mainpuri - Unnao with Quad Bersimis (175Kms)
- 2) 400kV DC (Quad Moose) Mainpuri (765kV) - Aligarh (120kms)
- 3) LILO of both circuits of 400kV DC Orai - Mainpuri (PG) at Mainpuri (765kV) with Twin Moose (30Kms)
- 4) 765kV 2x SC Mainpuri - Bara with Quad Bersimis (2x350kms)
- 5) LILO of 400kV Panki - Orai at 400kV Rewa Road with Twin Moose (12 kms)
- 6) 400kV DC (Quad Moose) Rewa Road - Karchhana (30kms)
- 7) 400kV DC (Quad Moose) Rewa Road - Meja (25kms)
- 8) 400kV DC (Quad Moose) Bara - Meja (25kms)
- 9) 400kV DC (Quad Moose) Bara - Karchhana (30kms)
- 10) 400kV DC (Quad Moose) Tanda - Gonda (100kms)
- 11) 400kV DC (Quad Moose) Gonda - Shahjahanpur (230kms)
- 12) LILO of 400kV Sarojininagar - Kursi Road (PG) at 400kV Sultanpur Rd, Lucknow with Twin Moose (20kms)
- 13) LILO of 400kV Orai - Sultanpur at 400kV Aurai with Twin Moose (15kms)

(II) Sub-Stations :

- 1) 2x1000MVA (765/400kV) AIS at Mainpuri
- 2) 2x315MVA (400/220kV) GIS at Rewa Road
- 3) 2x315MVA (400/220kV), 2x100MVA (220/132kV) AIS at Gonda
- 4) 2x500MVA (400/220kV), 2x160MVA, (220/132kV) GIS at Sultanpur Road, Lucknow
- 5) 2x315MVA (400/220kV), 2x160MVA (220/132kV) AIS at Aurai

COD of the Project : 30 months from the date of award of work

Date of award of work : 05.07.2011

- 2- उक्त के सम्बंध में-
 - (अ) विद्युत अधिनियम, 2003, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, के नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (ब) ओवर हेड लाइनों के सम्बंध में भारतीय विद्युत नियमावली 1956, जब तक कि वह विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत बताये गये नियमों से प्रतिस्थापित न कर दी जाय, के द्वारा अधिष्ठापित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भी होगा:-
 - (i) कार्यदायी संस्था मे० साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा टी०एस०ए० के समस्त प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा और परियोजना का निर्माण कार्य, यदि शासन द्वारा समयावधि में वृद्धि न कर दी जाय, कार्य आवंटन की तिथि से 30 माह अर्थात् दिनांक 04-01-2014, तक पूरा किया जायेगा।
 - (ii) शासन द्वारा उक्त 30 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व एक माह की नोटिस देकर उक्त अनुमोदन/अनुमति वापस लिया जा सकता है।
 - (iii) कार्यदायी संस्था मे० साउथ ईस्ट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार गजट आफ इण्डिया, एक्सट्रा. भाग-11, सेक्शन-3 (i) दिनांक 18.04.2006 (जी०एस०आर० 217 (ई) दिनांक 18.04.2006) द्वारा नोटिफाईड लाइसेन्सी रूल्स, 2005 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

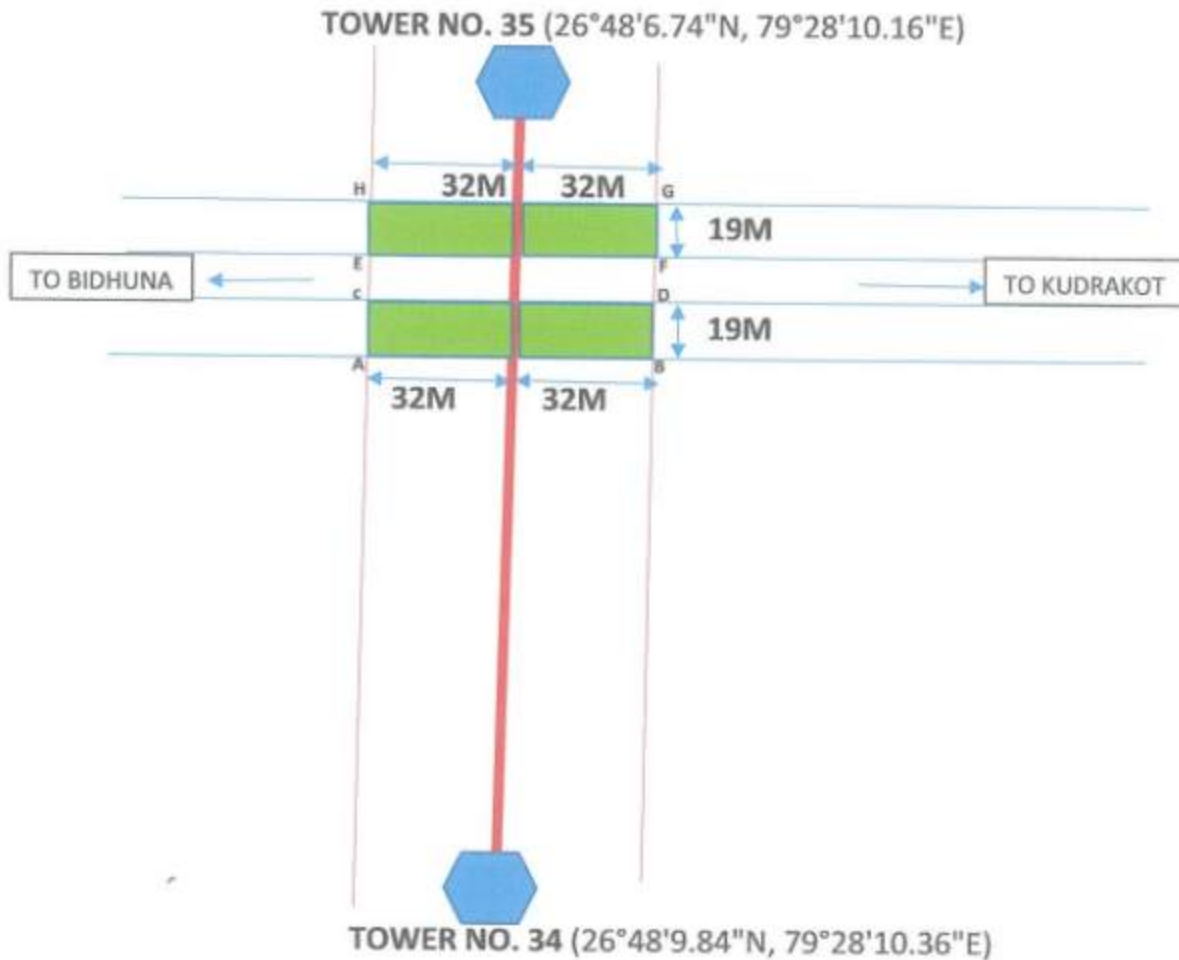
संख्या- 359 (1)/24-ऊनिनिप्र/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, शालिमार टाईटेनियम 601-602, छठवाँ तल, प्लॉट नं०-टी०सी०/जी०-1/1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मो० मारुफ)
अनु सचिव।

**SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI – BARA TRANSMISSION
LINE CKT-1 ON BIDHUNA – KUDRAKOT ROAD CROSSING**



LEGENDS :

-  TOWER
-  TRANSMISSION LINE
-  FOREST AREA

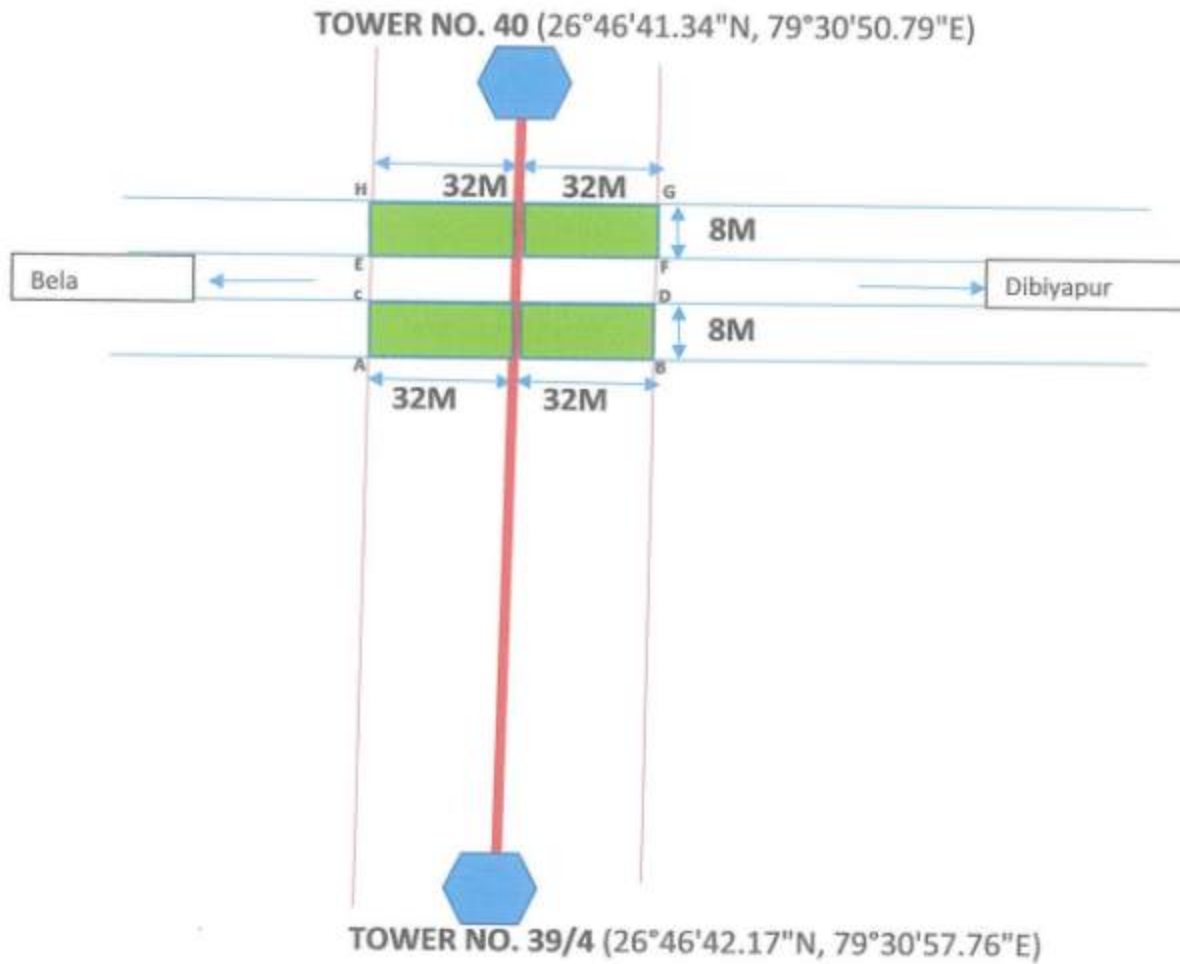
Coordinates

Sl. No.	Latitude	Longitude
A	$26^{\circ}48'8.65''\text{N}$	$79^{\circ}28'11.90''\text{E}$
B	$26^{\circ}48'8.70''\text{N}$	$79^{\circ}28'09.03''\text{E}$
C	$26^{\circ}48'8.24''\text{N}$	$79^{\circ}28'11.80''\text{E}$
D	$26^{\circ}48'8.18''\text{N}$	$79^{\circ}28'10.36''\text{E}$
E	$26^{\circ}48'7.87''\text{N}$	$79^{\circ}28'11.80''\text{E}$
F	$26^{\circ}48'7.93''\text{N}$	$79^{\circ}28'8.81''\text{E}$
G	$26^{\circ}48'7.49''\text{N}$	$79^{\circ}28'8.76''\text{E}$
H	$26^{\circ}48'7.44''\text{N}$	$79^{\circ}28'11.64''\text{E}$



**SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI – BARA TRANSMISSION
LINE CKT-1 ON BELA – DIBIYAPUR ROAD CROSSING**

95



LEGENDS :

-  TOWER
-  TRANSMISSION LINE
-  FOREST AREA

Coordinates

Sl. No.	Latitude	Longitude
A	$26^{\circ}46'41.13''N$	$79^{\circ}30'54.93''E$
B	$26^{\circ}46'42.68''N$	$79^{\circ}30'54.90''E$
C	$26^{\circ}46'42.60''N$	$79^{\circ}30'54.54''E$
D	$26^{\circ}46'41.11''N$	$79^{\circ}30'54.60''E$
E	$26^{\circ}46'41.00''N$	$79^{\circ}30'54.13''E$
F	$26^{\circ}46'42.64''N$	$79^{\circ}30'54.02''E$
G	$26^{\circ}46'42.59''N$	$79^{\circ}30'53.65''E$
H	$26^{\circ}46'41.01''N$	$79^{\circ}30'53.86''E$



प्रमाणित वेनाधिकारी
अविद्या वन प्रमाण-अविद्या

UNDERTAKING FOR FOREST RIGHT ACT (FRA – 2006)
Certificate Submission

To,
 Divisional Forest Officer,
 Forest Division,
 Auraiya

Subject: Undertaking for FRA Certificate.

Dear Sir,

We would like to inform you that we have submitted online proposal regarding Forest clearance of Protected Forest land proposed for diversion for construction of power transmission line across Bela – Dibiyapur road (MDR) in between chainage no. 279-280 in District Auraiya.

As per guidelines issued by Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC-Division) vide File no. 11-43/2013-FC dated 26.02.2019 regarding compliance of "Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006".

It is undertaking that the compliance of above subjected FRA certificate is in process at office of District Magistrate, Auraiya and will be submitted before Stage –II approval compliances of final approval or before as per received from office of District Magistrate.


 (S. K. Singh)

General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

Authorised Signatory

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.


 श्री केशव कुमार
 प्रियंका


 श्री केशव कुमार
 प्रियंका


 प्रभासीय कनाधिकारी
 औरिया वन प्रभाग-औरिया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

(Proposal No. – FP/UP/TRANS/15538/2015)

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद औरैया में प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी – बारा सर्किट -1 ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में कोई पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है।



(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणित
औरैया जन प्रभाग-औरैया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

(Proposal No. – FP/UP/TRANS/15538/2015)

**मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक
343 – 11 – C दिनांक 14.08.20 के क्रम में दिए गए निर्देशों के प्रमाण पत्र**

जनपद औरैया के अंतर्गत बेला - दिबियापुर रोड, किमी० 20-21, गांव - भूलाहार / हरपुरा, तहसील - बिधूना,
जनपद - औरैया (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (औरैया वन प्रभाग में - 0.3456 हे०) वन
भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी
प्रस्ताव हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयागत प्रेषित प्रस्ताव का भली भांति परीक्षण कर लिया है
तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के अंतर्गत निर्गत आदेशों,
नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयागत प्रस्ताव में किसी भी विन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया
है। भविष्य में प्रकरण में किसी विन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में
आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।



(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक - पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणित
औरैया वन प्रभाग - औरैया

प्रतिहस्ताक्षरित
कक्ष -

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UP-0180/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttar Pradesh

- (i) State / Union Territory : Uttar Pradesh
- (ii) District : PRAYAGRAJ, Fatehpur, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Auraiya
- (iii) Forest Division : Social Forestry Division Allahabad, Social Forestry Division Fatehpur, Social Forestry Division Kanpur Nagar, Forest Division Kanpur Dehat, Auraiya
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 19.9019
- (v) Category of the Proposal: Transmission Line

2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Forest Division Kanpur Dehat	0.8064 ✓	Protected Forest
2	Social Forestry Division Allahabad	14.411	Reserved Forest
3	Social Forestry Division Allahabad	0.429	Protected Forest
4	Social Forestry Division Mainpuri	1.415	Protected Forest
5	Social Forestry Division Fatehpur	2.1504	Protected Forest
6	Social Forestry Division Kanpur Nagar	0.3456	Protected Forest
7	Auraiya	0.3456 ✓	Protected Forest
Total		19.903	

Division 1. : Auraiya**3. District wise area to be diverted in the division**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Auraiya	0.3456
Total		0.3456

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**(i) Density of vegetation**

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.3456	0.1	Eco 3
Total.		0.3456	

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Azadirachta Indica	Neem	11	0	0	0	0	0
2	Dalburgia Sisoo	Shesham	6	0	0	0	0	0
3	Zizyphus Jujuba	Bare	46	0	0	0	0	0

4	Pongamia Pinnata	Kanji	113	0	0	0	0	0
5	Holoptelia integrifolia	Chilbil	25	0	0	0	0	0
6	Prosopis Juliflora	Bilayati Babool	13	0	0	0	0	0
7	Butea Monosperma	Dhak	6	0	0	0	0	0
Total			220	0	0	0	0	0
Sub Total (No of Trees.)			220					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The proposed land is included in strip plantation working circle.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :

The protected forest proposed for diversion is least erosion prone.

7.

Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :

12

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : NO

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10.

Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

- (i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 5.222

Patch Wise Details

S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
NO Data						

- (ii). Copy of CA scheme details: 
- (iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 
- (iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: 
- (v). Copy of NOC from Competent Authority: 

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		Forest Act 1980
2		Geo reference details
3		NPV certificate
4		CA Plantation certificate
5		Van Swaroop certificate
6		Joint Inspection
7		Details of Non Forest Araea
8		Lees rent certificate
9		NPV Calculation sheet
10		Niyuntam vanbhoomi certificate
11		Century area related certificate
12		पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र
13		Vanya Jeev certificate
14		Ped Badhak list
15		Labhanbhit Avadi related certifaicate
16		Work start certificate
17		Manak sarte

18	ECR	Undertaking FRA
19	ECR	Recordation certificate
20	ECR	pedo ke Patan related certifiacate
21	ECR	ETT
22	ECR	Toposheet
23	ECR	Online part 2
24	ECR	ट्रान्समिशन लाइन के नीचे लगाये जाने वाले औषधीय/बोने घोंघों के रोपण किये जाने वाले पौधों का व्यय प्रॉक्कलन
25	ECR	पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र
26	ECR	Certificate

Division 2. : Forest Division Kanpur Dehat

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Kanpur Dehat	0.8064
Total		0.8064

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.8064	0.1	Eco 3
Total.	0.8064		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Terminalia Arjuna	Arjun	0	0	2	2	2	3
2	Dalburgia Sisoo	Sheesham	0	05	3	3	2	2
3	Acacia Arabica	Babool	0	0	0	1	1	0
4	Syzgium Cumini	Jamun	0	0	0	0	0	1
5	Pongamia Pinnata	Kanji	0	02	0	0	0	0
6	Ficus Religiosa	Peepal	0	0	1	0	0	0
7	Albizia procera	Siras	0	0	1	1	1	0
8	Madhuca indica	Mahua	0	0	0	0	0	3
9	Eucalyptus	Eucalyptus	0	0	0	0	0	1
Total			0	7	7	7	6	10
Sub Total (No of Trees.)			37					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The proposed land is included in strip plantation working circle.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :

The protected forest for diversion is least erosion.

7.

Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :

15

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : NO
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10.

Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

(i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 5294200

Patch Wise Details

S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
NO Data						

(ii). Copy of CA scheme details: (iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 

(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:

(V). Copy of NOC from Competent Authority : 

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		
2		
3		PWD NOC
4		NO Heritage Site
5		Site Inspection Report
6		FRA Certificate
7		Gazette Notification
8		Recommendation Letter
9		NO WLS
10		Affected Trees List and Summary
11		NPV Calculation
12		Dwarf & Medicinal Plantation Estimate
13		Irrigation NOC
14		Terms & Conditions
15		MUCK Disposal Certificate
16		Undertaking For FRA
17		No Deemed Forest
18		Undertaking For NPV
19		Geo Reference Maps
20		NHAI NOC

Division 3. : Social Forestry Division Allahabad

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Allahabad	14.84
Total		14.84

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10.

Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

- (i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 151.685

1	1	14.411	Nibi RF	Shankargarh	1		View file
2	2	14.411	NIBI PF	Shankargarh	2		View file

- (ii). Copy of CA scheme details: 

- (iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 

- (iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: 

- (V). Copy of NOC from Competent Authority : 

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
NIL		

Division 4. : Social Forestry Division Fatehpur

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Fatehpur	2.1504
Total		2.1504

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.1504	0.1	Eco 3
Total.	2.1504		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Others	BABOOL	4	14	0	0	0	0
2	Terminalia Arjuna	ARJUN	0	2	2	1	0	0
3	Dalburgia Sisoo	SHISHAM	7	5	1	0	0	0
4	Artocarpus Heterophyllus	KATAHAL	2	0	0	0	0	0
5	Pongamia Pinnata	KANJI	0	4	0	0	0	0
6	Mangifera Indica	AAM	0	1	1	0	0	0
7	Holoptelia Integrifolia	CHILBIL	0	4	0	0	0	0
8	Madhuca indica	MAHUA	0	1	2	0	0	0
9	Syzgium Cumini	JAMUN	0	0	0	0	1	0
10	Delonix Regia	GOLDMOHAR	2	0	0	0	0	0
11	Azadirachta Indica	NEEM	2	6	5	0	0	0
Total			17	37	11	1	1	0
Sub Total (No of Trees.)			67					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The proposed land is included in strip plantation working circle.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : No Sensitive for erosion

7.

Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.)

:

0

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : No
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10.

Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

- (i). Total Financial Outlay for C.A(lacs):

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
NO Data						

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		
2		FRA प्रमाण पत्र

3		संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट
4		NPV की धनराशि का आगणन
5		संस्तुति प्रमाण पत्र
6		स्थल निरीक्षण रिपोर्ट
7		बाधक वृक्षों का सारांश व सूची
8		वन्य जीव विहार न होने का प्रमाण पत्र
9		ETT प्रमाण पत्र
10		हिन्दी भाग 2
11		औषधीय पौधों के रोपण का प्रावकलन
12		वन स्वरूप संबंधित प्रमाण पत्र
13		औचित्य प्रमाण पत्र

Division 5 : Social Forestry Division Kanpur Nagar

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Kanpur Nagar	0.3456
Total		0.3456

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.3456	0.4	Eco 3
Total.	0.3456		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Dalburgia Sisoo	Sheesham	0	1	0	0	0	0
2	Azadirachta Indica	Neem	0	0	0	0	3	0
3	Eucalyptus	Eucalyptus	0	0	0	0	1	7
4	Mangifera Indica	Aam	0	0	2	3	1	0
5	Madhuca indica	Mahua	0	0	0	1	0	0
Total			0	1	2	4	5	7
Sub Total (No of Trees.)			19					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The Proposed land is included in strip plantation working circle.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :

The protected forest for diversion is least erosion.

7.

Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.)
:

20

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : NO
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10.

Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

- (i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 716192

Patch Wise Details

S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
------	-----------	-----------	---------------	-------	----------------	----------------------------

NO Data
(ii). Copy of CA scheme details: 
(iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 
(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: 
(v). Copy of NOC from Competent Authority : 

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		Van Swaroop Certificate
2		Sensitive certificate
3		Durlabh Area Certificate
4		FCA 1980 Certificate
5		Gudget Certificate
6		NPV Certificate
7		Joint Inspection certificate
8		Recommendation certificate
9		Vachanbadhyata certificate
10		Site Inspection certificate

Division 6. : Social Forestry Division Mainpuri

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Mainpuri	1.415
Total		1.415

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	1.415	0.1	Eco 3
Total.	1.415		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Azadirachta Indica	Neem	0	0	0	3	0	0
2	Others	Khajur	0	0	5	0	0	0
3	Dalburgia Sisoo	Sisam	0	1	0	0	0	0
Total			0	1	5	3	0	0
Sub Total (No of Trees.)			9					

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

- (i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 2.192

1	1	2.10	Saman (RF)	Kishni	1779		View file
2	2	0.73	Saman (RF)	Kishni	1779		View file

- (ii). Copy of CA scheme details:

- (iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

- (iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:

- (V). Copy of NOC from Competent Authority :

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		FRA Certificate

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Mainpuri	275900	1419.54	69.91	26	14.20	16/02/2016	0	0
2	Auraiya	201500	9915.447	161.2539	27	0	13/07/2015	48.94	16.09
3	Kanpur Dehat	314288	7203.8	80.276	21	0	31/03/2017	20	1140.992
4	Kanpur Nagar	315500	5398.255	149.0525	42	17.069	23/08/2022	17.069	0
5	Fatehpur	415200	7113.913	162.2591	18	65.372	30/11/2015	4.582	0
6	PRAYAGRAJ	528468.00	21532.6661	275.28	72	352.8883	31/07/2022	352.8883	256.605

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site Inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Forest Division Kanpur Dehat	Kanpur Circle Kanpur	DFO	Yes	One		25/11/2015
Social Forestry Division Allahabad	Allhabad Circle Allahabad	DFO	Yes	One		30/01/2016
Social Forestry Division Mainpuri	Agra Circle Agra	DFO	Yes	One		12/02/2016
Social Forestry Division Fatehpur	Allhabad Circle Allahabad	DFO	Yes	One		29/02/2016
	Kanpur Circle Kanpur	CF	No		No Data	
	Agra Circle Agra	CF	No		No Data	
	Allhabad Circle Allahabad	CF	No		No Data	
Social Forestry Division Kanpur Nagar	Kanpur Circle Kanpur	DFO	Yes	One		23/08/2022
Auraiya	Kanpur Circle Kanpur	DFO	Yes	One		18/11/2022

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
----------	--------	-------------------	----------------	--------	--------	-------------------

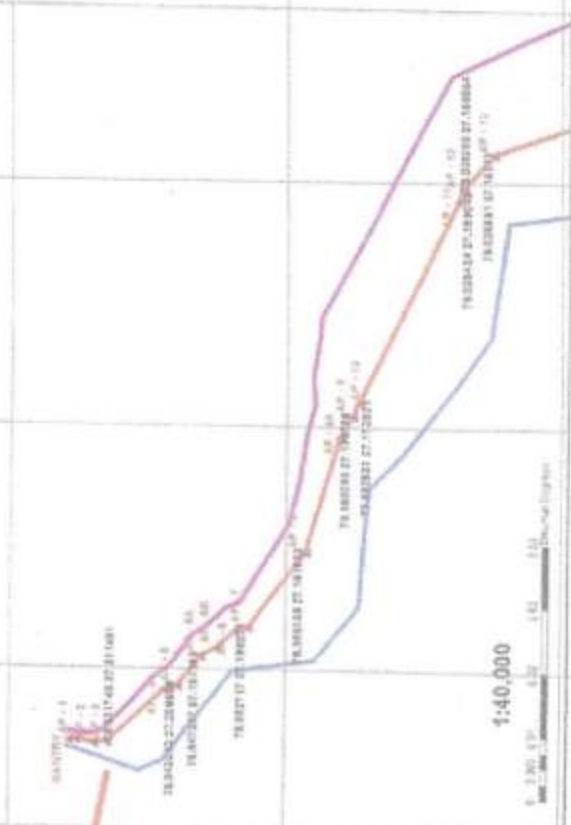
Social Forestry Division Kanpur Nagar	Kanpur Circle Kanpur	DFO	Recommended	The selected route is so close in proximity of the bee-line as far as practicable. Minimum loss of forest, endangered flora and fauna, rich orchard, nurseries etc.		
Forest Division Kanpur Dehat	Kanpur Circle Kanpur	DFO	Recommended	The selected route is so close in proximity of the bee-line as far as practicable. Minimum loss of forest, endangered flora and fauna, rich orchard, nurseries etc.		
Social Forestry Division Fatehpur	Allhabad Circle Allhabad	DFO	Recommended			
Social Forestry Division Allahabad	Allhabad Circle Allahabad	DFO	Recommended			
Social Forestry Division Mainpuri	Agra Circle Agra	DFO	Recommended			
Auraiya	Kanpur Circle Kanpur	DFO	Recommended	The selected route is so close in proximity of the bee-line as far as practicable. Minimum loss of forest, endangered flora and fauna, rich orchard, nurseries etc.		
	Kanpur Circle Kanpur	CF	Recommended	recommended		Yes
	Agra Circle Agra	CF	Recommended			Yes
	Allhabad Circle Allhabad	CF	Recommended	recommended		Yes

Print

प्रभागीय वनाधिकारी
औरिया वन प्रभाग-औरिया

Mainpuri - Bara CKT-1 Transmission Line

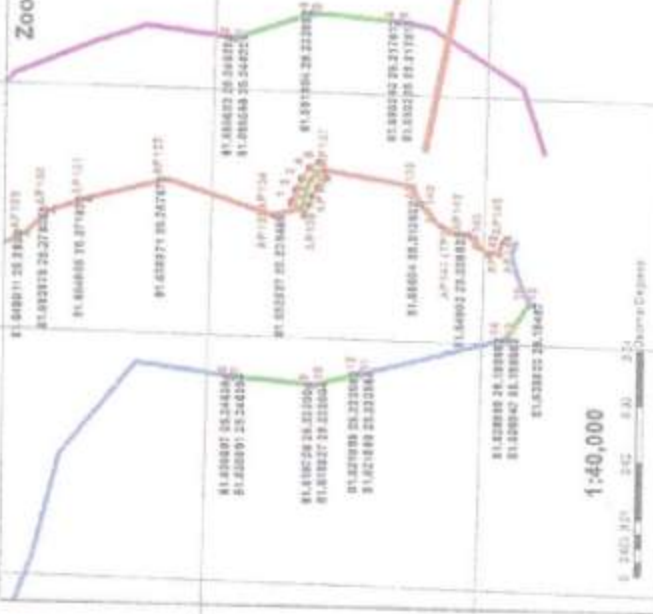
Zoom View of Map Features



Legend

- GPS Coordinate of Forest Land
- Transmission Line Tower Location
- FOREST LAND
- Alternative 1
- Proposed ROW
- Alternative 2

Zoom View of Map Features



GPS Coordinates of Forest Land in Proposed Route		
Location	Latitude	Longitude
AP-1	25.27000	81.60000
AP-2	25.27000	81.60000
AP-3	25.27000	81.60000
AP-4	25.27000	81.60000
AP-5	25.27000	81.60000
AP-6	25.27000	81.60000
AP-7	25.27000	81.60000
AP-8	25.27000	81.60000
AP-9	25.27000	81.60000
AP-10	25.27000	81.60000
AP-11	25.27000	81.60000
AP-12	25.27000	81.60000
AP-13	25.27000	81.60000
AP-14	25.27000	81.60000
AP-15	25.27000	81.60000
AP-16	25.27000	81.60000
AP-17	25.27000	81.60000
AP-18	25.27000	81.60000
AP-19	25.27000	81.60000
AP-20	25.27000	81.60000
AP-21	25.27000	81.60000
AP-22	25.27000	81.60000
AP-23	25.27000	81.60000
AP-24	25.27000	81.60000
AP-25	25.27000	81.60000
AP-26	25.27000	81.60000
AP-27	25.27000	81.60000
AP-28	25.27000	81.60000
AP-29	25.27000	81.60000
AP-30	25.27000	81.60000
AP-31	25.27000	81.60000
AP-32	25.27000	81.60000
AP-33	25.27000	81.60000
AP-34	25.27000	81.60000
AP-35	25.27000	81.60000
AP-36	25.27000	81.60000
AP-37	25.27000	81.60000
AP-38	25.27000	81.60000
AP-39	25.27000	81.60000
AP-40	25.27000	81.60000
AP-41	25.27000	81.60000
AP-42	25.27000	81.60000
AP-43	25.27000	81.60000
AP-44	25.27000	81.60000
AP-45	25.27000	81.60000
AP-46	25.27000	81.60000
AP-47	25.27000	81.60000
AP-48	25.27000	81.60000
AP-49	25.27000	81.60000
AP-50	25.27000	81.60000
AP-51	25.27000	81.60000
AP-52	25.27000	81.60000
AP-53	25.27000	81.60000
AP-54	25.27000	81.60000
AP-55	25.27000	81.60000
AP-56	25.27000	81.60000
AP-57	25.27000	81.60000
AP-58	25.27000	81.60000
AP-59	25.27000	81.60000
AP-60	25.27000	81.60000
AP-61	25.27000	81.60000
AP-62	25.27000	81.60000
AP-63	25.27000	81.60000
AP-64	25.27000	81.60000
AP-65	25.27000	81.60000
AP-66	25.27000	81.60000
AP-67	25.27000	81.60000
AP-68	25.27000	81.60000
AP-69	25.27000	81.60000
AP-70	25.27000	81.60000
AP-71	25.27000	81.60000
AP-72	25.27000	81.60000
AP-73	25.27000	81.60000
AP-74	25.27000	81.60000
AP-75	25.27000	81.60000
AP-76	25.27000	81.60000
AP-77	25.27000	81.60000
AP-78	25.27000	81.60000
AP-79	25.27000	81.60000
AP-80	25.27000	81.60000
AP-81	25.27000	81.60000
AP-82	25.27000	81.60000
AP-83	25.27000	81.60000
AP-84	25.27000	81.60000
AP-85	25.27000	81.60000
AP-86	25.27000	81.60000
AP-87	25.27000	81.60000
AP-88	25.27000	81.60000
AP-89	25.27000	81.60000
AP-90	25.27000	81.60000
AP-91	25.27000	81.60000
AP-92	25.27000	81.60000
AP-93	25.27000	81.60000
AP-94	25.27000	81.60000
AP-95	25.27000	81.60000
AP-96	25.27000	81.60000
AP-97	25.27000	81.60000
AP-98	25.27000	81.60000
AP-99	25.27000	81.60000
AP-100	25.27000	81.60000



प्रमाणित वनाधिकारी
प्रमाणित वन प्रभाग-औरंगाबाद

AP106
AP107
AP108
AP109
AP110
AP111
AP112
AP113
AP114
AP115
AP116
AP117
AP118
AP119
AP120
AP121
AP122
AP123
AP124
AP125
AP126
AP127
AP128
AP129
AP130
AP131
AP132
AP133
AP134
AP135
AP136
AP137
AP138
AP139
AP140
AP141
AP142
AP143
AP144
AP145
AP146
AP147
AP148
AP149
AP150
AP151
AP152
AP153
AP154
AP155
AP156
AP157
AP158
AP159
AP160
AP161
AP162
AP163
AP164
AP165
AP166
AP167
AP168
AP169
AP170
AP171
AP172
AP173
AP174
AP175
AP176
AP177
AP178
AP179
AP180
AP181
AP182
AP183
AP184
AP185
AP186
AP187
AP188
AP189
AP190
AP191
AP192
AP193
AP194
AP195
AP196
AP197
AP198
AP199
AP200
AP201
AP202
AP203
AP204
AP205
AP206
AP207
AP208
AP209
AP210
AP211
AP212
AP213
AP214
AP215
AP216
AP217
AP218
AP219
AP220
AP221
AP222
AP223
AP224
AP225
AP226
AP227
AP228
AP229
AP230
AP231
AP232
AP233
AP234
AP235
AP236
AP237
AP238
AP239
AP240
AP241
AP242
AP243
AP244
AP245
AP246
AP247
AP248
AP249
AP250
AP251
AP252
AP253
AP254
AP255
AP256
AP257
AP258
AP259
AP260
AP261
AP262
AP263
AP264
AP265
AP266
AP267
AP268
AP269
AP270
AP271
AP272
AP273
AP274
AP275
AP276
AP277
AP278
AP279
AP280
AP281
AP282
AP283
AP284
AP285
AP286
AP287
AP288
AP289
AP290
AP291
AP292
AP293
AP294
AP295
AP296
AP297
AP298
AP299
AP300
AP301
AP302
AP303
AP304
AP305
AP306
AP307
AP308
AP309
AP310
AP311
AP312
AP313
AP314
AP315
AP316
AP317
AP318
AP319
AP320
AP321
AP322
AP323
AP324
AP325
AP326
AP327
AP328
AP329
AP330
AP331
AP332
AP333
AP334
AP335
AP336
AP337
AP338
AP339
AP340
AP341
AP342
AP343
AP344
AP345
AP346
AP347
AP348
AP349
AP350
AP351
AP352
AP353
AP354
AP355
AP356
AP357
AP358
AP359
AP360
AP361
AP362
AP363
AP364
AP365
AP366
AP367
AP368
AP369
AP370
AP371
AP372
AP373
AP374
AP375
AP376
AP377
AP378
AP379
AP380
AP381
AP382
AP383
AP384
AP385
AP386
AP387
AP388
AP389
AP390
AP391
AP392
AP393
AP394
AP395
AP396
AP397
AP398
AP399
AP400
AP401
AP402
AP403
AP404
AP405
AP406
AP407
AP408
AP409
AP410
AP411
AP412
AP413
AP414
AP415
AP416
AP417
AP418
AP419
AP420
AP421
AP422
AP423
AP424
AP425
AP426
AP427
AP428
AP429
AP430
AP431
AP432
AP433
AP434
AP435
AP436
AP437
AP438
AP439
AP440
AP441
AP442
AP443
AP444
AP445
AP446
AP447
AP448
AP449
AP450
AP451
AP452
AP453
AP454
AP455
AP456
AP457
AP458
AP459
AP460
AP461
AP462
AP463
AP464
AP465
AP466
AP467
AP468
AP469
AP470
AP471
AP472
AP473
AP474
AP475
AP476
AP477
AP478
AP479
AP480
AP481
AP482
AP483
AP484
AP485
AP486
AP487
AP488
AP489
AP490
AP491
AP492
AP493
AP494
AP495
AP496
AP497
AP498
AP499
AP500
AP501
AP502
AP503
AP504
AP505
AP506
AP507
AP508
AP509
AP510
AP511
AP512
AP513
AP514
AP515
AP516
AP517
AP518
AP519
AP520
AP521
AP522
AP523
AP524
AP525
AP526
AP527
AP528
AP529
AP530
AP531
AP532
AP533
AP534
AP535
AP536
AP537
AP538
AP539
AP540
AP541
AP542
AP543
AP544
AP545
AP546
AP547
AP548
AP549
AP550
AP551
AP552
AP553
AP554
AP555
AP556
AP557
AP558
AP559
AP560
AP561
AP562
AP563
AP564
AP565
AP566
AP567
AP568
AP569
AP570
AP571
AP572
AP573
AP574
AP575
AP576
AP577
AP578
AP579
AP580
AP581
AP582
AP583
AP584
AP585
AP586
AP587
AP588
AP589
AP590
AP591
AP592
AP593
AP594
AP595
AP596
AP597
AP598
AP599
AP600
AP601
AP602
AP603
AP604
AP605
AP606
AP607
AP608
AP609
AP610
AP611
AP612
AP613
AP614
AP615
AP616
AP617
AP618
AP619
AP620
AP621
AP622
AP623
AP624
AP625
AP626
AP627
AP628
AP629
AP630
AP631
AP632
AP633
AP634
AP635
AP636
AP637
AP638
AP639
AP640
AP641
AP642
AP643
AP644
AP645
AP646
AP647
AP648
AP649
AP650
AP651
AP652
AP653
AP654
AP655
AP656
AP657
AP658
AP659
AP660
AP661
AP662
AP663
AP664
AP665
AP666
AP667
AP668
AP669
AP670
AP671
AP672
AP673
AP674
AP675
AP676
AP677
AP678
AP679
AP680
AP681
AP682
AP683
AP684
AP685
AP686
AP687
AP688
AP689
AP690
AP691
AP692
AP693
AP694
AP695
AP696
AP697
AP698
AP699
AP700
AP701
AP702
AP703
AP704
AP705
AP706
AP707
AP708
AP709
AP710
AP711
AP712
AP713
AP714
AP715
AP716
AP717
AP718
AP719
AP720
AP721
AP722
AP723
AP724
AP725
AP726
AP727
AP728
AP729
AP730
AP731
AP732
AP733
AP734
AP735
AP736
AP737
AP738
AP739
AP740
AP741
AP742
AP743
AP744
AP745
AP746
AP747
AP748
AP749
AP750
AP751
AP752
AP753
AP754
AP755
AP756
AP757
AP758
AP759
AP760
AP761
AP762
AP763
AP764
AP765
AP766
AP767
AP768
AP769
AP770
AP771
AP772
AP773
AP774
AP775
AP776
AP777
AP778
AP779
AP780
AP781
AP782
AP783
AP784
AP785
AP786
AP787
AP788
AP789
AP790
AP791
AP792
AP793
AP794
AP795
AP796
AP797
AP798
AP799
AP800
AP801
AP802
AP803
AP804
AP805
AP806
AP807
AP808
AP809
AP810
AP811
AP812
AP813
AP814
AP815
AP816
AP817
AP818
AP819
AP820
AP821
AP822
AP823
AP824
AP825
AP826
AP827
AP828
AP829
AP830
AP831
AP832
AP833
AP834
AP835
AP836
AP837
AP838
AP839
AP840
AP841
AP842
AP843
AP844
AP845
AP846
AP847
AP848
AP849
AP850
AP851
AP852
AP853
AP854
AP855
AP856
AP857
AP858
AP859
AP860
AP861
AP862
AP863
AP864
AP865
AP866
AP867
AP868
AP869
AP870
AP871
AP872
AP873
AP874
AP875
AP876
AP877
AP878
AP879
AP880
AP881
AP882
AP883
AP884
AP885
AP886
AP887
AP888
AP889
AP890
AP891
AP892
AP893
AP894
AP895
AP896
AP897
AP898
AP899
AP900
AP901
AP902
AP903
AP904
AP905
AP906
AP907
AP908
AP909
AP910
AP911
AP912
AP913
AP914
AP915
AP916
AP917
AP918
AP919
AP920
AP921
AP922
AP923
AP924
AP925
AP926
AP927
AP928
AP929
AP930
AP931
AP932
AP933
AP934
AP935
AP936
AP937
AP938
AP939
AP940
AP941
AP942
AP943
AP944
AP945
AP946
AP947
AP948
AP949
AP950
AP951
AP952
AP953
AP954
AP955
AP956
AP957
AP958
AP959
AP960
AP961
AP962
AP963
AP964
AP965
AP966
AP967
AP968
AP969
AP970
AP971
AP972
AP973
AP974
AP975
AP976
AP977
AP978
AP979
AP980
AP981
AP982
AP983
AP984
AP985
AP986
AP987
AP988
AP989
AP990
AP991
AP992
AP993
AP994
AP995
AP996
AP997
AP998
AP999
AP1000

(Proposal No. - FP/UP/TRANS/15538/2015)

Net Present Value (N.P.V.) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद औरैया में 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा सर्किट-1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में औरैया वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि के लिए Net Present Value (NPV) की धनराशि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अदा करने हेतु वचनबद्ध है।

भविष्य में यदि माननीय उच्चतम न्यायालय या भारत सरकार के द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में कोई बदलाव होता है तो नए दर से धनराशि अदा करने हेतु साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड वचनबद्ध है।

(संजय कुमार सिंह)



महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन क० लि०

प्रमाणित किया जाता है
औरैया वन प्रभाग-औरैया

(PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015)

765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची जिनका पातन नहीं किया जाना है

औरैया वन प्रभाग - औरैया

क्रम	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	(00-30) सेमी०	(31-60) सेमी०	(61-90) सेमी०	(91-120) सेमी०	(121-150) सेमी०	(>150) सेमी०
1	नीम	Azadirachta india	0	0	0	0	0	0
2	विलायती बबूल	Prosopis juliflora	0	0	0	0	0	0
3	बेरी	Ziziphus mauritiana	46	0	0	0	0	0
4	शीशम	Dalbergia sissoo	0	0	0	0	0	0
5	ढाँख	Artocarpus heterophyllus	6	0	0	0	0	0
6	कंजी	Pongamia pinnata	0	0	0	0	0	0
7	चिलबिल	Holoptelia integrifolia	0	0	0	0	0	0
कुल			52	0	0	0	0	0
कुल पेड़ों की संख्या			52					



प्रभारी वन अधिकारी
औरैया वन प्रभाग - औरैया

Muck Disposal Plan

Sl.No.	Particulars	Remarks
1	Calculation of muck to be generated. Swell factor to be applied.	Since, the project is a linear project alignment is entirely located in plane area having no scope of hill cutting / deep excavated and accordingly no muck will be generated. Accordingly, no calculation and swell factor is applicable.
2	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	As stated above column, generation of muck is very unlikely. Whatever little debris gets generated dusring construction will be utilized for filling the excavated pits during tower installation.
3	Balance quantity of muck which requires disposal / management plan.	No balance quantity is estimated, construction related debris will be utilized in project work.
4	Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	Not applicable, due to above mentioned reason in Sl.no. 1 & 2.
5	Ownership of land and the consent of landowners in case muck disposal is proposed on non-forest land.	Not applicable, due to above mentioned reason in Sl.no. 1 & 2.
6	Photograph and carrying capacity of proposed dumping site (Muck disposal site)	Not applicable, due to above mentioned reason in Sl.no. 1 & 2.
7	Development of dumping site construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.	Not applicable, due to above mentioned reason in Sl.no. 1 & 2.
8	Rehabilitation of dumping site like levelling, planting of grass, shrubs and tree species.	Not applicable.



प्रभाषीय वनाधिकारी
औरंगा वन प्रभाग-औरंगा

Sl.No.	Details	Quantity	Unit
1	Materials received from Hillside cutting	Nil	Cum
2	Materials received from cutting including 40% of swell factor	Nil	Cum
3	Total	Nil	Cum
4	Disposal & Use material	Nil	Cum
5	R.R. Stone masonry laid in 1.5	Nil	Cum
6	R.R. Stone masonry laid dry	Nil	Cum
7	Hand packed stone filling	Nil	Cum
8	Construction of wire Crete	Nil	Cum
9	Construction of parapet	Nil	Cum
10	Construction of Granular sub base / base / surface	Nil	Cum
11	Construction of scrapper	Nil	Cum
12	Construction of road side drain	Nil	Cum
13	Super elevation & patri filling	Nil	Cum
14	Concrete work	Nil	Cum
15	Total	Nil	Cum
16	Material Disposal by Carriage	Nil	Cum

Summary of Debris Disposal

Sl.No.	Total Material	Material Disposal	Resided material for transmission line	Total disposal in Dumping zone
1	Nil	Nil	Nil	Nil

Details of Muck Disposal Site

Sl.No.	Location of Dumping Yard	Khasra no.	Area (Ha)	Height of the dumping zone (m)		Latitude & Longitude
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



प्रभागीय वनीधिकारी
औरंगाबाद वन प्रभाग-औरंगाबाद

765 के० वी० मेनपुरी - बारा सर्किट -1 पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि पर औषधीय / बीने पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित व्यय का प्राक्कलन

- बेला - दिबियापुर रोड (किमी० 279 - 280) - बायीं पटरी (64मी० x 19मी० = 1216 वर्ग मीटर), दायीं पटरी (64मी० x 19मी० = 1216 वर्ग मीटर)
कुल 2432 वर्ग मी० = 0.2432 हे०
- बिधुना - कुदरकोट रोड (ग्राम चिरकुआ) - बायीं पटरी (64मी० x 8मी० = 512 वर्ग मीटर) दायीं पटरी (64मी० x 8 मी० = 512 वर्ग मीटर)
कुल 1024 वर्ग मी० = 0.1024 हे०

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा० उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक - जी - 99/15-1 सीलिंग दर दिनांक 30/01/2022 के अनुसार

प्रथम वर्ष अग्रिम मुदा कार्य					
क्रम	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई प्रति	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	0.3456	हे०	59.78	20.66
2	मुदा परीक्षण ५ हे० में एक	1	सं०	311.13	311.13
3	क्षेत्र की सफाई	0.3456	हे०	358.35	123.85
4	गड्डों का पंक्ति बंधन	450	सं०	0.4	180.00
5	गड्डा खुदान ऊसर भूमि (1 हे०) मी०	450	सं०	20.1	9045.00
6	जिप्सम का मूल्य, ढुलान, लदवाई व उत्तराई सहित	450	गड्डा	6.06	2727.00
7	प्लास्टिक पाइप	70	प्रति मी०	63	4410.00
8	आर० सी० सी० के खम्बों का मूल्य कर सहित () (0.4 मी० दूरी)	180	पोल	404	72720.00
9	फेंसिंग हेतु कंटीले तार का क्रय (५ लड़ी)	0.28	मेट्रिक टन	84892	23769.76
10	विडिओ ग्राफी, फोटोग्राफी अन्य व आकस्मिक व्यय (३ प्रतिशत)	लगभग	लगभग	लगभग	4400.64
11	नहर पटरी पर अवर्तित खर पतवार मूज घास आदि को रूट आउट करने पर व्यय जे० सी० बी० द्वारा	6	घंटे	900	5400.00
	योग				123108.04
द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य					
1	गड्डा में कंटनाशक दवा, जिप्सम, खाद व बालू मिलाकर गड्डा भरण	450	पौध	1.61	724.50
2	गड्डा हेतु गोबर खाद का मूल्य २ किलोग्राम प्रति गड्डा	450	गड्डा	2	900.00
3	कंटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	450	पौध	0.41	184.50
4	पौध का मूल्य (३ प्रतिशत अतिरिक्त)	465	पौध	100	46500.00
5	पौधों का रोपण स्थल तक ढुलान (१० से २० किमी०)	465	पौध	20.1	9345.50
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	450	पौध	6.62	2979.00
7	पौधा रोपण सिंचाई व धावला बनवाई	450	पौध	5.63	2533.50
8	रोपण के बाद पौधों को निराई गुड़ाई मलावेग एक बार प्रथम अवतूबर दिसम्बर एवं द्वितीय फरवरी में	450	पौध		
9	पौधों को सिंचाई तीन बार	450	पौध	1.29	580.50
10	आर० सी० खम्बों की प्राउटिंग (६) सीमेंट कंक्रीट	1350	पौध	1.37	1849.50
11	खम्बों का स्थानीय ढुलान	180	प्रति खम्बा	225.13	40523.40
12	तार की सिंचाई	180	प्रति खम्बा	3.78	680.40
13	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय ८ हे० जुलाई से मार्च तक कुल एक बार	300	प्रति मी०	0.98	294.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड का बनवाई व लिखाई	234	प्रति मानव दिव	230	53820.00
15	अन्य व्यय ०२ प्रतिशत आँजारा की मरम्मत	1	लगभग	3200	3200.00
	योग	लगभग	लगभग	लगभग	2277.46
16	महंगाई व मुद्रा स्फीति कुल व्यय का १० प्रतिशत				166393.26
	योग			अनुमानित	14544.88
					180938.14
तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)					
1	पौधों को निराई गुड़ाई आदि रोपित पौधों में अप्रैल से मार्च तक तीन बार	1350	गड्डा	1.29	1741.50
2	पौधों को सिंचाई अप्रैल से मार्च तक नौ बार	4050	गड्डा	1.37	5548.50
3	तार फेंसिंग मरम्मत	1	लगभग	108.8	108.80
4	संसाधनिक उर्वरक, कंट नाशक का प्रयोग मूल्य	0.3456	हे०	600	207.36
5	विभागीय टेक्टर व टैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	3000	3000.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	365	प्रति मानव दिव	230	83950.00
7	अन्य प्रशासनिक व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				96556.16
8	१० प्रतिशत बढ़ोतरी व्यय				9655.62
	योग				106211.78
चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	पौधों को निराई गुड़ाई मलावेग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	900	पौध	1.29	1161.00
2	पौधों को सिंचाई अप्रैल से मार्च तक अठारह बार	8100	पौध	1.37	11097.00
3	मृत पौधों के स्थान पर पुनः ८ फीट से अधिक ऊँचाई की पौध का १० प्रतिशत बदलना (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	50	पौध	100	5000.00
4	पौधों का ढुलान (१ किमी० - २० किमी०) (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	50	पौध	20.1	1005.00

6	पौधा रोपण एवं तुरत सिंचाई	50	पौध	5.63	281.50
7	वृक्षरोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	312	प्रति मानव दिव	230	71760.00
8	अन्य प्रशासनिक व्यय	1		2000	2000.00
	योग				92635.50
9	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				9263.55
	योग				101899.05
पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष					
1	पौधा की निराई गुड़ाई मत्ताचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पौधा की सिंचाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
षष्ठम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष					
1	पौधा की निराई गुड़ाई मत्ताचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पौधा की सिंचाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष					
1	पौधा की निराई गुड़ाई मत्ताचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पौधा की सिंचाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्ठम वर्ष					
1	पौधा की निराई गुड़ाई मत्ताचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पौधा की सिंचाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष					
1	पौधा की निराई गुड़ाई मत्ताचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पौधा की सिंचाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष					
1	पौधा की निराई गुड़ाई मत्ताचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पौधा की सिंचाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष					
1	पौधा की निराई गुड़ाई मत्ताचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पौधा की सिंचाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00

3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष					
1	पोर्चा की निराई गूहाई मलबेच सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	450	पौध	1.29	580.50
2	पोर्चा की सिंकाई दो बार	900	पौध	1.37	1233.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व ट्रैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	1	लगभग	2000	2000.00
4	अन्य व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				5813.50
5	१० प्रतिशत बढ़ावतरी व्यय				581.35
	योग				6394.85
0.3456 हे० वन क्षेत्र में रोपण हेतु वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित व्यय का सारांश					
क्रम	कार्य का विवरण	व्यय होने वाली राशि रूपये में			
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				123108.04
2	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य				180938.14
3	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)				106211.78
4	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष				101899.05
6	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष				6394.85
7	षष्ठम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष				6394.85
8	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष				6394.85
9	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्ठम वर्ष				6394.85
10	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष				6394.85
11	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष				6394.85
12	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष				6394.85
13	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष				6394.85
	योग				563315.80
	सर्टिज चांजेज @ 6.875%				38727.96
	कुल योग				602043.76
	पूर्णांक				602044

रूपये शब्दों में - छः लाख दो हजार चौआसिस मात्र



क्षेत्रीय वनाधिकारी
अछल्दा रेंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिधूना-रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
आरिदा वन प्रभाग-औरैया

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

लीज - रेंट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की निर्माणाधीन 765 के० वी० एकलपथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु वन भूमि क्षेत्रफल 0.3456 हे० सरंक्षित भूमि को 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया जा रहा है।

प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार निर्धारित लीज रेंट प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया जाएगा।



(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणितकारी
जोरिया वन प्रभाग-जोरिया